Website : www.akhilbharathindumahasabha.org
E-mail : editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org

प्रत्येक बुधवार को प्रकाशित

प्रति अंक मूल्य 4 रुपये

अखिल भारत हिन्दू महासभा का मुखपत्र

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

वर्ष- 41 अंक-07
कल्पादि सम्वत् 1972949117

सम्पादक
मुन्ना कुमार शर्मा

दिनांक 10 मई से 16 मई 2017 तक
वैशाख शुक्ल पूर्णिमा से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी सम्वत् 2074 तक

वार्षिक शुल्क 150 रुपये
पृष्ठ संख्या 12

केवल चर्चा नहीं... पृष्ठ- 3

रोजाना दूध और शहद.. पृष्ठ- 4

बदलती शिक्षा प्रणाली.. पृष्ठ- 5

मुस्लिम शरीयत में... पृष्ठ- 8

बत्ती गयी, हेकड़ी है... पृष्ठ- 12

- पाक को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी
- महानतम अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बालपन की अल्पज्ञात जीवन गाथा की एक झलक
- मुस्लिम समाज में महिलाओं के हक में इजाफा, शौहर के इंतकाल पर भी हज की इजाजत

हिंदुओं को २० साल बाद मिली शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की इजाजत

हिन्दुओं का उत्पीड़न बंद करे पाकिस्तान–हिन्दू महासभा

• संवाददाता •

पाकिस्तान की एक अदालत ने हिंदुओं को २० साल बाद ऐबटाबाद जिले में एक शिव मंदिर में पूजा–अर्चना की इजाजत दी है। पेशावर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतीक हुसैन शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिंदू समुदाय के लोगों को संविधान की धारा २० के तहत खबर पख्तूनख्वाह प्रांत के शिवजी मंदिर में पूजा–अर्चना की इजाजत दी। साल २०१३ में एक गैर सरकारी संगठन ने पेशावर उच्च न्यायालय की ऐबटाबाद पीठ के समक्ष शेष पृष्ठ 11 पर

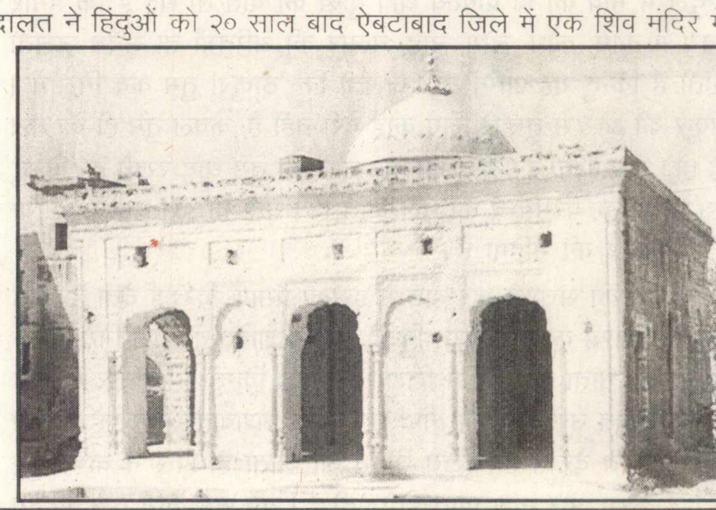

अमरनाथ यात्रा के लिये हेलीकाप्टर टिकट की ऑनलाइन बिक्री

अमरनाथ यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा मिले–हिन्दू महासभा

• संवाददाता •

वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिये हेलीकाप्टर सेवा की टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग २५ अप्रैल से शुरू हो चुकी है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड एसएएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमंग नरूला ने कहा कि इस साल की यात्रा के लिये हेलीकाप्टर टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग मंगलवार को सुबह १० बजे से शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एसएएसबी ने यूटीएयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लिमिटेड को नीलग्राथ–पंजतरनी–नीलग्राथ सेक्टर और हिमालयन हेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहलगाम–पंजतरनी–पहलगाम सेक्टर के लिये सेवा प्रदाता के तौर पर चुना है। यात्रा २६ जून से शुरू हो रही है, यात्रा सात अगस्त को रक्षा बंधन तक चलेगी। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने केन्द्र सरकार तथा जम्मू–कश्मीर सरकार से अमरनाथ यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा की मांग की है। हिन्दू महासभा नेताओं ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं जम्मू–कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पत्र लिखकर अमरनाथ यात्रियों को पूर्ण सुविधाएं एवं सुरक्षा देने की मांग की है।

अन्तःकरण की शुद्धि ही परमात्मा की प्राप्ति है

साभार गीता संदेश

अन्तःकरण की शुद्धि जहाँ हुई कि ईश्वर से हमारी दूरी समाप्त हुई। उदाहरणार्थ दर्पण पर जमी धूल के कारण जिस प्रकार हम अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख पाते, उसी प्रकार सांसारिक विषयों की धूल हमें ईश्वर के दर्शन से दूर किए हुए है। जिसमें जितना अधिक धैर्य होगा, वही ईश्वर के निकट पहुँचेगा। हमें अपने सब भावों को एक भाव बनाकर पूँजीभूत करके ठाकुर को अर्पण कर देना चाहिए। मन्दिर में हम ईश्वर को सामने से ही प्रणाम करते हैं क्योंकि अभी हमें इस यथार्थता का बोध नहीं है कि ईश्वर केवल मन्दिर में ही नहीं, अपितु सर्वत्र है–हमारे चारों ओर है।

हमें तो उनकी प्रतीत करनी है जो नित्य, शाश्वत एवं स्थायी है लेकिन हम जो नहीं हैं उसी की प्रतीति करके प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तुतः असत्य में सत्य मानना अर्थात सांसारिक विषयों की सत्ता को सत्य मान लेना मात्र भ्रम है, क्योंकि सांसारिक कोई भी सुख स्थायी नहीं है। ठाकुर को पाने के लिए उसकी अनुभूति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तुम्हारा अभ्यास जितने बड़े पैमाने पर एवं एकाग्र होगा, उतना ही अधिक तुम ईश्वरानुभूति करोगे। अभ्यास के लिए धैर्य की आवश्यकता है। अभ्यास सत्संग से, भगवद लीलाओं के गायन–श्रवण व मनन से होता है।

सेवा में भाव का होना अत्यावश्यक है–वस्तु का नहीं, क्योंकि वस्तु तो भगवान की ही है। उदाहरणार्थ शबरी के बेरों में और सुदामा के तन्दुल में भाव का ही प्राबल्य था। दुःख की बात तो यह है कि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर की अग्नियाँ तो सदैव जलती रहती हैं किन्तु यह अग्नि नहीं जलती कि 'ठाकुर! तुम कब मिलोगे'। ठाकुर की ओर से तुम्हारे लिए कोई देरी नहीं है, केवल तुम ही देर कर रहे हो। सांसारिक हर वस्तु को, हर नाते को तुम याद रखते हो, किन्तु उस नियामक, परमतत्त्व को भूल जाते हो। यही तो इस भ्रम पूर्ण माया पूरित संसार की महिमा है।

ईश्वर की सत्ता है–हर बात में इसका प्रमाण दिखाई देता है। इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का परिचालन किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा नियमपूर्वक हो रहा है। माता की गोद में शिशु खेलता है किन्तु समयान्तर में कोई अदृश्य शक्ति उसे माता की गोद छुड़वाकर शैशवावस्था में पहुँचा देती है, तत्पश्चात देखते ही देखते यौवन आ जाता है, फिर न चाहते हुए भी वृद्धावस्था और मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह सब कार्य उस अदृश्य शक्ति परब्रह्म का ही है।

हम नित्य प्रति तरह–तरह के पदार्थ खाकर रस लेने का प्रयत्न करते हैं, नित्य प्रति तरह–तरह के संगीत व शब्द सुनते हैं, तरह–तरह के रूप देते हैं–यह सब सिद्ध करता है कि अभी तक हमने वास्तविक रस का अनुभव नहीं किया है, वास्तविक शब्द नहीं सुना है, वास्तविक रूप नहीं देखा है, तभी हम सांसारिक रूप रस, ध्वनि में सुख खोजने का प्रयत्न करते रहते हैं। अनन्य भक्त तो भगवान से बस यही चाहता है–आरजू है कि आरजू न रहे।

ईश्वर प्राप्ति की कामना निष्कामता से ही आती है। परम पिता से कुछ मत माँगो। वैराग्य व ज्ञान तभी प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति पूर्णरूपेण समर्पित हो, निष्काम कर्म करता है। किसी के द्वारा किया गया छोटे से छोटा उपकार भी जिन्दगी भर मत भूलो और किसी के द्वारा किया गया बड़े से बड़ा अपकार भी याद मत करो। अमीर भी सुखी नहीं है इन्द्र भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। सुख तो भजन में ही है। हम माया को समझते हुए भी उससे दूर नहीं हो पाते। यह हमारी अत्यधिक सांसारासक्ति का ही दुष्परिणाम है कि ठाकुर की आवाज जो नित्य है, हम तक नहीं पहुँचती किन्तु अन्य आवाजें हमारे पास आती रहती हैं। उदाहरणार्थ स्टेशन से निर्गमित ध्वनि तरंगें सर्वत्र प्रसारित होती हैं किन्तु एक यंत्र विशेष अर्थात रेडियो द्वारा ही उन्हें पकड़कर संगीत आदि शब्दों का आनन्द लिया जा सकता है। कबीर, मीरा, नानक आदि महापुरुषों ने ठाकुर की दिव्य शेष पृष्ठ 11 पर

साप्ताहिक राशिफल

मेष : इस सप्ताह आसान काम भी चुनौती के रूप में नजर आयेंगे। मानसिक दक्षता बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे। वाणी का प्रभाव बढ़ेगा लिहाजा लोग आपकी बात को मानेंगे। जिम्मेदारी निभाने में कोई नयी रणनीति सफलता दिला सकती है। किसी विषय में आप मतिभ्रम का शिकार हो सकते है।

वृष : इस सप्ताह परिवार में विरोधाभास की स्थिति रहेगी जिसके कारण मृगतृष्णा आप पर पूरी तरह हावी रहेगी। उच्च अधिकारियों से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी इसलिए नयें पैतरें खेलने पड़ सकते है।

मिथुन : इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण कार्यो में त्वरित निर्णय लेने पड़ सकते है। कुछ लोगों के साथ अपमान जनक स्थिति आ सकती है। हताशा और निराशा आपके जीवन में घर न करने पायें। मजबूरन रूढ़िवादी तरीके अपनाने पड़ सकते है। आप–अपनी सम्पत्ति पर ध्यान केन्द्रित करें।

कर्क : इस सप्ताह आप–अपनी बात रखने में सफल होंगे जिससे मानसिक उर्जा में वृद्धि होगी। सहयोगी विद्रोह करने में सफल होंगे ऐसी स्थिति में आप हिम्मत से काम लें। अतिरिक्त जिम्मेदरी निभाने के लिए तैयार रहिए। कुछ कार्य समय पर पूरे न होने से मन दुःखी हो सकता है।

सिंह : इस सप्ताह कुछ लोगों के मन में निराशा हावी होगी जिससे गलत निर्णय लेने की आशंका है। आश्चर्यजनक तथ्य सामने आ सकते है। किसी प्रिय से वैचारिक मतभेद हो सकता है। छात्रों को प्रतियोगी परिक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

कन्या : इस सप्ताह आप आश्चर्यजनक घटनाओं को लेकर चिन्तित रहेंगे। दूर–दराज के लोगों से मेल–मिलाप होगा। सामाजिक मान–सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों को रूके हुये धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें।

तुला : इस सप्ताह कुछ लोगों को सन्तान के प्रति प्रतीकात्मक त्याग करना पड़ सकता है। हर कार्य का अपना नियत समय होता है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को ससुराल पक्ष से सहयोग मिलने के आसार नजर आ रहें है। नयें लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक : यह सप्ताह आपके लिए परिवर्तन एंव लाभकारी प्रतीत होगा। सम्बन्धों के माध्यम से कोई रूका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। जिस राह पर आप चल रहें है, वह कांटो भरी है। कर्म की प्रधानता के फलस्वरूप जीवन में सुधार आयेगा।

धनु : इस सप्ताह भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी। अपनी क्षमतायें बढ़ायें। योजनाओं का फल आपके अनुरूप नहीं मिलने से मन चिन्तित रहेगा। लोग आप पर निर्भर रहेंगे किन्तु आप उनकी मदद न करकर उन्हे प्रेरणा देने का काम करें। किसी भी कार्य में अन्तिम समय में अपने विचार न बदलें।

मकर : विरोधियों के तमाम प्रंपचों के बावजूद भी अन्त में आपकी ही विजय होगी। आपके रूखे स्वभाव के कारण अपने ही लोग हानि पहुंचा सकते है। आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। व्यवसायी वर्ग अनिर्णय की स्थिति में रह सकता है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा।

कुम्भ : परिवार की ओर से मिल रहे सहयोग में विराम लग सकता है जिससे हकीकत का सामना होगा। कठिन परिस्थितिय सामने आ सकती है। पथ प्रदर्शक दूरी बना सकते है। योजनायें लम्बित हो सकती है।

मीन : इस सप्ताह उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। पुराने मित्र आपके करीब आ सकते है। अपने निजी कार्यो पर अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। ध्यान भटकेगा किन्तु संयम बनायें रखें। आन्तरिक संघर्ष बढ़ने के संकेत नजर आ रहें है।

पं० दीनानाथ तिवारी

श्रीमद्भगवत गीता

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्।।

मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ।।३०

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्।
झषाणां मकरश्चास्मि स्त्रोमसामस्मि जाह्नवी।।

मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्रीराम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्रीभागीरथी गंगाजी हूँ।।३१।।

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवहामर्जुन।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्।।

हे अर्जुन! सृष्टियों का आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म–विद्या अर्थात् ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्त्व–निर्णय के लिये किया जाने वाला वाद हूँ।।३२।।

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च।
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः।।

मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वन्द्व नामक समास हूँ, अक्षयकाल अर्थात् काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट्स्वरूप, सबका धारण–पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ।।३३।।

साप्ताहिक
हिन्दू सभा
वार्ता
दिनांक 10 मई से 16 मई 2017 तक

अध्यक्षीय

पाक को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी

राष्ट्रीय उद्बोधन
चन्द्र प्रकाश कौशिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष

पाकिस्तान भारत के विरुद्ध बर्बर हमलों की हदें पार करता जा रहा है। वास्तव में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सेना की कंगारू अदालत ने प्राणदंड की घोषणा कर भारत पर युद्ध का ही ऐलान किया है। यह युद्ध उस घृणा की निरन्तरता है जिसका बीज भारत विभाजन के साथ बोया गया था। आजादी के तुरंत बाद सितम्बर १९४७ में किया कबायलियों के वेश में हमला, कच्छ पर हमला, १९६५ की लड़ाई। जो हम जीत कर भी हाजी पीर लौटा बैठे, १९७१ में पाकिस्तान का भारतीय फौजों के सामने आत्मसमर्पण और ९० हजार पाकिस्तानी सैनिक भारत में युद्ध बंदी, फिर जिया उल हक द्वारा खालिस्तानी आतंकवाद के जरिये हजार घावों से भारत को रक्त रंजित करना और फिर आईएसआई के जिहादी हमले। जिनमें ८६ हजार से ज्यादा भारतीय मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान स्वयं भी इस आतंक का शिकार हो रहा है और उसको अमेरिका तथा चीन का भी सहारा है, भारत के लिए बेमानी है। हमारे लिए यदि कोई एक ही बात महत्वपूर्ण है तो वह है पाकिस्तानी आतंकवाद और हमलों से कैसे भारत को सुरक्षित किया जाए। यह सत्य है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मुसलमानों द्वारा ही पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। वजह है आपसी साम्प्रदायिक घृणा। बलोचिस्तान और सिंध में भी पाकिस्तानी फौजों के पाशविक अत्याचारों की लम्बी सूची है। मसूद अजहर और लखवी तो इस हिमनद के सिर्फ टुकड़े भर हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में दो सौ से ज्यादा भारतीय कैदी हैं। सरबजीत सिंह और कश्मीर सिंह की कहानी तो सामने आ गयीं। लेकिन १९७१ के युद्ध के समय पकड़े गए ५४ भारतीय युद्धबंदियों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। सूत्रों के अनुसार उनमें से अनेक आज भी जेल में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमानुषिक अत्याचार पाकिस्तान की फितरत में है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथ जाट रेजिमेंट के पांच जवानों– सिपाही अर्जुन राम बासवाना, मूलाराम, नरेश सिंह, भंवर लाल बागडिया और मीका राम के पार्थिव शरीर जब सौंपे गए तो उनकी क्षतविक्षत हालत देख खून उबल उठा था। लेकिन उस बर्बरता को हमें चुप होकर सहना पड़ा। लांस नायक हेमराज और लांसनायक सुधाकर सिंह के सर काट कर उनके शरीर भारतीय सेना को सौंपे गए तो जनवरी २०१३ तो पूरा देश क्रुद्ध हो उठा था। पर कुछ दिन बाद सब कुछ भुला दिया गया। वीरता के गीत गाने वाला यह समाज भूल जाता है कि देश पर शहीद होने वाले जवानों के भी परिवार हैं– उनके माता–पिता, बच्चे और पत्नी। मीडिया में आतंकवादियों के इंटरव्यू छापने को फैशन है लेकिन क्या कभी किसी महान शहीद सैनिक के माता, पिता, पत्नी या बेटी का इंटरव्यू आपने देखा है। कल्पना करिए यदि इस प्रकार की बर्बरता अमेरिका या चीन के सैनिकों के साथ हुई होती तो क्या प्रतिक्रिया होती। भारत का सैनिक केवल वदीर्धारी नौकरी पेशा कर्मचारी नहीं है। वर्दी पहनते ही वह भारतीय सम्प्रभु गणतंत्र का उतना ही सशक्त प्रतिनिधि हो जाता है जितना तिरंगा झंडा है, संविधान है और राष्ट्रपति की गरिमा है। उससे रत्ती भर कम सैनिक के सम्मान को नहीं आंका जा सकता। कश्मीर में केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल के जवान के साथ देशद्रोही पत्थरबाजों द्वारा किए गए शर्मनाक व्यवहार की वीडियो क्लिप वायरल हुई। लेकिन क्या उसकी कुछ प्रतिक्रिया हुई। हम अपनी धरती पर अपने कश्मीर में, मातृभूमि के लिए लड़ रहे सैनिकों की रक्षा नहीं कर पाते। इसका क्या जवाब होगा। यदि वह जवान कायर; पाकिस्तानी पैसे पर पलने वाले पत्थरबाजों से अपनी रक्षा करने के लिए गोली चलाता तो उसके विरुद्ध सबसे ज्यादा भारत के ही सेकुलर पत्रकार लिखते। लेकिन भारत में एक जवान के अपमान पर कहीं कोई लेख, सम्पादकीय या संसद में शोर देखा सुना गया। क्योंकि यहां जवान के पक्ष में बोलना चुनावी जीत का कारण नहीं बनता। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं सुनायी गयी है.. पहले तय कर लिया गया कि उसे कत्ल करना है। उसके बाद फाइलों पर दस्तखत कर दिए। न तो भारतीय राजनयिकों को कुलभूषण से मिलने दिया गया, न ही तमाम सवालों का जवाब दिया गया। इस बारे में हमें विश्वास है कि भारत सरकार उतनी ही उद्वेलित और चित्रित है जितने कि हम सब। हम सिर्फ कह सकते हैं, जन–मन के भाव बता सकते हैं। एक सशक्त एवं निर्णायक सरकार कुलभूषण के विषय में हर संभव, बल्कि असंभव से उपाय भी करेगी और कुलभूषण को वापस सही सलामत ला देगी यही हमें कामना करनी चाहिए।

E-mail : chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org

सम्पादकीय

केवल चर्चा नहीं, हल चाहिए

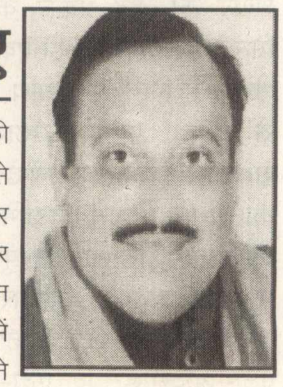

राष्ट्रीय आह्वान
मुन्ना कुमार शर्मा
राष्ट्रीय महासचिव

नक्सलियों का हमला कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बेकार नहींजाएगी। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे कुछ घिसे–पिटे वाक्यों की आड़ में राज्य और केंद्र सरकार ने एक बार फिर नक्सलवाद की समस्या पर अपना चिंतन और जिम्मेदारी का स्तर प्रदर्शित कर दिया। नक्सलियों से आमने–सामने मुठभेड़ करते जो जवान शहीद हुए, उनके शवों को तिरंगे में लपेटकर सलामी के साथ सत्ता में बैठे लोग अपनी देशभक्ति दिखला देते हैं और देशवासियों के सामने आंतरिक सुरक्षा के जो प्रश्न खड़े हैं, वे फिर किसी भूल–भुलैया में उलझा दिए जाते हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर घात लगाकर सुनियोजित तरीके से हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के २५ जवान शहीद हो गए हैं। नक्सली इस तरह का हमला पहली बार करते, इस स्थान पर पहली बार धावा बोलते, पहली बार सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाते, तब तो सरकार की लाचारी समझ में आती कि इस नयी समस्या को समझने और उससे निपटने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। लेकिन देश में और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कैंसर की तरह फैल चुका है और इसका भान प्रथम स्टेज पर ही सत्ताधीशों को हो गया था। लेकिन इस बीमारी को टालते रहने का नतीजा यह हुआ है कि अब यह पूरी तरह जानलेवा बन चुका है, और विडंबना यह है कि अब भी इसका इलाज सही दिशा में नहींहो रहा है। यूं तो छत्तीसगढ़ में कई बड़े नक्सली हमले हुए हैं, जिसमें कभी आम जनता की जान गई, कभी राजनेता मारे गए तो कभी जवान शहीद हुए। लेकिन सुकमा के जिस चिंतागुफा इलाके में इस बार हमला हुआ है, वहां बीते वर्षों में इसी तरह के और हमले हो चुके हैं। दिसंबर २०१४ में यहां सीआरपीएफ की बटालियन पर ही हमला हुआ था, जिसमें २ अफसर व ११ जवान शहीद हुए थे। इसके बाद इसी वर्ष मार्च में यहां हमला हुआ, जिसमें १५ जवान शहीद हुए थे और अब यह हमला हुआ है। नक्सलियों के हर हमले के बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट अविलंब आया कि वे ऐसे हमले की निंदा करते हैं, कि वे जवानों की मौत से दुखी हैं। कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसा लगता है मानो निंदा, संवेदना के ऐसे ट्वीट पहले से थोक में तैयार कर रख दिए गए हैं कि जैसे ही मौका पड़े उसे जारी कर दिया जाए। जितनी तत्परता ऐसी घटनाओं पर सतही प्रतिक्रिया देने में दिखाई जाती है, उतनी अगर समस्या को समझने में दिखाई जाती तो शायद समाधान के कुछ रास्ते निकलते। अभी भी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचकर आपात बैठक की। जब हमला हो गया, उसके बाद उसकी समीक्षा करना तब सार्थक होता, जब आइंदा ऐसे हमलों पर रोक लग पाती। फिलहाल ऐसी कोई सूरत नहींबन पाई है। छत्तीसगढ़ या देश के अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली हिंसा पर रोक लगाने के कारगर उपाय अब तक सरकारों को समझ नहीं आए हैं। कभी सैन्य बल का इस्तेमाल होता है, कभी नागरिक समाज में उठती आवाजों को दबा कर सत्ता अपनी ताकत दिखाती है, कभी नक्सलियों के समर्थन और सरकार के विरोध में बातें करने वालों को कानून का डर दिखाया जाता है। सात सितारा होटलों में नक्सलवाद पर सरकारी खर्च पर गहन विचार–विमर्श होता है। देश–विदेश के पत्रकार माइक, कैमरों के साथ जंगली इलाकों की संपादित तस्वीरें, कुछेक आदिवासियों से बातचीत और सरकारी अफसरों के साक्षात्कार के साथ नक्सल समस्या की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर अवार्ड लेने की तैयारी करते हैं और अवार्ड न मिले तो एकाध पुस्तक तो इस विषय पर प्रकाशित हो ही जाती है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी टीवी स्टूडियो में अपनी राय जाहिर कर देते हैं। इन सबसे भी अगर नक्सलवाद का हल तलाशने में थोड़ी मदद मिलती, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन चिंता की बात यह है कि नक्सलवाद दिन ब दिन गंभीर और घातक होता जा रहा है और उस पर केवल उलझाने वाली, भ्रम में डालने वाली बातें ही हो रही हैं। आप चाहें सैन्य बल का अधिक से अधिक उपयोग करें, चाहे नक्सलियों को मुठभेड़ों में मारें। चाहे उनसे आत्मसमर्पण कराएं, चाहे उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक कार्यकताओं को डरा,.धमकाएं, चाहे आदिवासियों को नक्सलियों से लड़ने के नाम पर उनके गांवों से विस्थापित कर दें या सरकारी कार्रवाई के कारण नक्सलियों के बैकफुट पर जाने का दावा करें, सुकमा जैसी घटनाओं से नजर आ रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा कर देने के सारे दावे खोखले हैं। सरकार उसकी जड़ों तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रही है और कुछ शाखाओं को काटकर पेड़ उखाड़ने का दावा कर रही है। अत्याधुनिक हथियारों, युद्ध की तकनीकों से लैस नक्सली सरकार के शक्ति प्रदर्शन के आगे नहींझुक रहे हैं और इस गलत रणनीति का खामियाजा सैन्यबलों को जवानों की शहादत से भरना पड़ रहा है। बेहतर यही होगा कि सरकार बंदूक के भरोसे ही नहीं रहे, बातचीत जैसे उपायों को भी आजमाती रहे।

E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org

रोजाना दूध और शहद पीने क अनोखे फायदे

साभार नई सदी पॉइन्ट

शुद्ध शहद और दूध पीने से शरीर को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। यह दोनों ही एक संपूर्ण आहार हैं जिन्हें एक साथ मिलाने से दोगुना फायदा उठाया जा सकता है। जहाँ दूध में ढेर सारा कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और लैक्टिक एसिड आदि भरपूर मात्रा में पाया जाता है वहीं पर शहद अपने आप में एंटी बैक्टीरियल, एंटी–ऑक्सीडेंट व एंटी–फंगल गुणों से भरी हुई है।

क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ग्रीक, रोमन, इजिप्ट, भारत आदि देशों में रानियाँ खुद को जवान और सुंदर दिखाने के लिए दूध व शहद का सेवन किया करती थीं। दूध और शहद लेने से न केवल स्किन ग्लो करने लगती है बल्कि शरीर की कई बीमारियाँ भी दूर होती हैं। दूध और शहद का सेवन करने से आपका पाचन दुरुस्त होगा, मोटापा घटेगा, हड्डियों में मजबूती आएगी और रात को नींद भी टाइम से आएगी। चलिए जानते हैं दूध और शहद को साथ लेने के ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में–

(१) पाचन–दूध और शहद पाचन से संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। इन दोनों सामग्रियों में मौजूद पोषण पेट में अच्छे बैक्टीरिया को

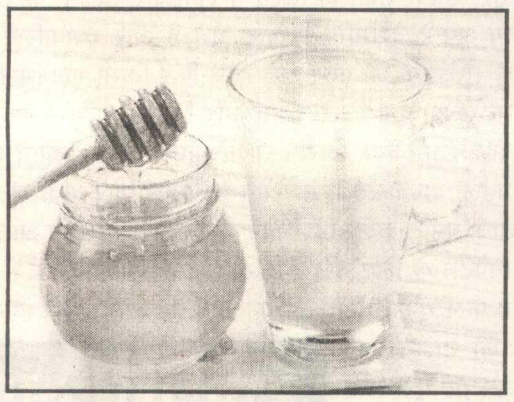

बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे पाचन ठीक बना रहता है। एक कप दूध में एक चम्मच शहद को मिला कर पीजिये।

(२) ताकत बढ़ाये–गर्मियों में हमारी ताकत गर्मी की वजह से कम हो जाती है। इसे बढ़ाने के लिए रोजाना दूध में शहद मिला कर पियें। दूध में प्रोटीन होता है और शहद में कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करते हैं।

(३) मजबूत हड्डियाँ–दूध व शहद का कॉम्बिनेशन शरीर को हेल्दी बनाए रखने के साथ ही हड्डियों की बीमारियों जैसे आस्टियोपोरोसिस या उम्र के साथ होने वाले जोड़ों के दर्द आदि को सुरक्षित रखता है, क्योंकि दूध व शहद दोनों में ही कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है।

(४) अच्छी नींद–क्या आपको रात में नींद नहीं आती? ऐसे में आपको सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध और शहद मिलाकर पीना चाहिए। इससे आपकी अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाएगी।

(५) कब्ज दूर करे–कब्ज बहुत ही आम बीमारी हो गई है। एक चम्मच शहद और गर्म दूध मिलाकर पीने से कब्ज की बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इसे रोज सुबह खाली पेट पिएँ।

(६) सर्दी-जुकाम दूर करे–गर्मियों में भी सर्दी जुकाम आम है। लेकिन दूध और शहद मिलाकर पीने से इसकी समस्या से जल्द निजात मिलती है क्योंकि यह एक एंटीसेप्टिक दवा का काम करता है। इसमें आपको ढेर सा विटामिन मिलेगा जिससे शरीर मजबूत बनेगा और संक्रमण भी खत्म होगा।

(७) कफ दूर करे–गर्म दूध और शहद को मिलाकर पियें। जैसा कि आपको मालूम है कि शहद में एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेट्री गुण पाए जाते हैं जिससे संक्रमण दूर होता है। यह कफ की बीमारी से आपको राहत दिलाने में मदद करेगा।

(८) वजन घटाएँ–शहद और दूध वेट को कम करने में मदद करते हैं। शहद में प्रोटीन के रूप में एनर्जी होती है और दूध दूसरी ओर चर्बी को जलाने में मदद करता है।

(९) दिल की जलन को मिटाए–खाना खाने के बाद यदि आप शहद और दूध का घोल पियेंगे तो आपको दिल की जलन से निजात मिलेगी। पर हाँ आपको गर्म नहीं बल्कि ठंडा दूध पीना होगा। मिश्रण को अच्छी तरह से मिला कर पियें।

(१०) बांझपन दूर करे–शहद और दूध एक साथ मिलाने पर आपके शरीर को एमिनो एसिड और कई प्रकार के खनिज मिलेंगे जिससे ओवरी को पोषण मिलेगा। इसलिए बांझपन को दूर करने के लिए दूध और शहद का सेवन करें।

गर्भावधि मधुमेह का भ्रूण पर प्रभाव

साभार युगधर्म

गर्भधारण करने से पहले महिला यदि टाइप १ या टाइप २ मधुमेह से ग्रस्त है या फिर गर्भावस्था के दौरान गर्भावधि मधुमेह की चपेट में आ गई है तो इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इतना ही नहीं, यदि गर्भावस्था के दौरान मधुमेह नियंत्रण में नहीं है तो भ्रूण के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

डायबिटीज का भ्रूण पर प्रभाव

मैक्रोसोमिया : यदि गर्भवती महिला मधुमेह से पीड़ित है तो बच्चे को मैक्रोसोमिया का खतरा ज्यादा होता है। मैक्रोसोमिया ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे का वजन सामान्य से ज्यादा होता है। उसकी लंबाई भी ज्यादा हो सकती है। ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बनने के कारण यह स्थिति आती है। इतना ही नहीं शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ाने के लिए और ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए भ्रूण अलग अग्नाशय बनाता है। माँ के शरीर में ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा और बच्चे के शरीर में ज्यादा इंसुलिन होने के परिणामस्वरूप बच्चे के शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है और बच्चा सामान्य की तुलना में बड़ा हो जाता है।

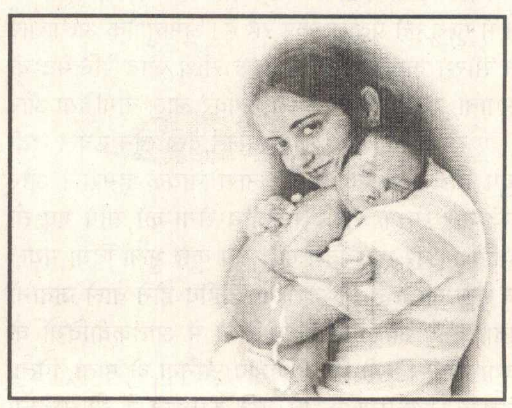

हाइपोग्लाइसीमिया : गर्भावस्था के दौरान अनियंत्रित मधुमेह के कारण बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया के साथ पैदा होता है। ऐसी स्थिति इंसुलिन का स्तर बढ़ने के कारण होती है। माँ के खून में शुगर की मात्रा ज्यादा होने से ऐसा होता है। इस अवस्था के साथ जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जरूरत से ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए बच्चे का शरीर अधिक मात्रा में इंसुलिन का निर्माण करता है।

मेटाबॉलिक समस्याएँ : बच्चा पैदा होने के बाद कुछ मेटाबॉलिक संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है। मेटाबॉलिक समस्याओं जैसे–पीलियाग्रस्त होने की ज्यादा संभावनायें होती हैं, ऐसा इसके शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। वर्जीनिया के मेडिकल डिवीजन स्कूल ऑफ मैटर्नल फेटल मेडिसिन के अनुसार टाइप १ मधुमेह ग्रस्त माँ से जन्मे बच्चे को मधुमेह होने की संभावना १५ प्रतिशत हो सकती है।

जन्मजात दोष : गर्भधारण करने से पहले जो महिलाएँ टाइप १ या टाइप २ मधुमेह से ग्रस्त होती हैं उनसे जन्म लेने वाले बच्चे को कई प्रकार के जन्मजात दोष हो सकते हैं, ऐसा गर्भ के दौरान सही तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो पाने के कारण होती है। जन्म लेने के बाद बच्चे को साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। बाद में बच्चे को रीढ़ और दिल से संबंधित समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है।

मृत प्रसव : गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से ग्रसित महिलाओं में स्टिलबर्थ यानी मृत प्रसव होने की आशंका बहुत कम होती है, लेकिन इस स्थिति से बिलकुल नकारा नहीं जा सकता। ऐसा उन महिलाओं में ज्यादा होता है जो गर्भधारण करने से पहले टाइप १ और टाइप २ मधुमेह से ग्रस्त होती है। उच्च रक्त शर्करा के कारण गर्भनाल की रक्त वाहिनियाँ क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, गर्भनाल के जरिए ही बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। यदि बच्चे को गर्भ में पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो मृत प्रसव की संभावना बढ़ जाती है। उपर्युक्त बात से ऐसा साबित नहीं हुआ है कि मधुमेह ग्रस्त महिलाएँ स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकतीं। लेकिन यदि डायबिटिक महिलाएँ गर्भधारण करने से पहले डायबिटीज को नियंत्रण में रखें और चिकित्सक से नियमित परामर्श लेती रहें तो प्रसव के बाद बच्चा स्वस्थ पैदा होगा।

बैक्टीरिया कैसे करता है खुद का बचाव

वाशिंगटन में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह खोज की है। अध्ययन में पाया गया कि क्यों कुछ बैक्टीरिया पर दवा का असर नहीं होता। शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस की कोशिकाओं से निकलने वाले टॉकसिन और इसके एंटीटॉक्सिन की संरचना पूरी तरह खंगाल ली है। स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बक्टीरिया है, जिससे आमतौर पर गले की बीमारी होती है। खराब स्थिति में न्यूमेटिक फीवर हो जाता है। अध्ययन के अनुसार जब बैक्टीरिया को मारने के लिए उसके शरीर में कोई बाहरी घातक चीज आक्रमण करती है, तब बैक्टीरिया अपने शरीर से एक जहर निकालता है। इससे न सिर्फ बाहरी आक्रमणकारी दूर भाग जाता है, बल्कि कई बार उसे मार भी देता है। यही कारण है कुछ स्थिति में दवा देने के बाद भी बैक्टीरिया नही मरता है। दिलचस्प बात यह है कि टॉक्सिन निकालने के बावजूद स्वयं बैक्टीरिया को कोई क्षति नहीं पहुँचती। अध्ययन में पाया गया कि इस बैक्टीरिया में एंटीटॉक्सिन और टॉक्सिन का ऐसा मिश्रण होता है, जिससे खुद पर टॉक्सिन का असर तो नहीं होने देता, लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों पर धावा बोल देता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस में एंटीटॉक्सिन के रूप में विषनाशक भी मौजूद होता है। अगर एंटीटॉक्सिन नहीं तो बैक्टीरिया खुद मर जाएगा। शोधकर्ताओं का यह अध्ययन स्ट्रक्चर जर्नल में प्रकाशित हुआ।

‘प्रकृति धरती जो अपनी है’

रश्मि अग्रवाल

ये ब्रह्मांड जिसमें हम निवास करते हैं, उसमें प्रकृति एक विशिष्ठ आवरण है एवं पृथ्वी उसकी आकृति, हमारे चारों ओर प्राकृतिक सुन्दरता, विकटता, विभिन्नता एवं विषमता, यत्र–तत्र, सर्वत्र विद्यमान है। प्रकृति, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, आश्चर्य और प्रसन्नता का अनुभव भी करते हैं क्योंकि इसका कोई विशेष श्रोत नहीं है, ये तो सर्वत्र है। इसी प्रकार हमारी जीवन शैली दो चक्रों पर आधारित है। एक चक्र है परम्परा–जिसमें आस्था–विश्वास रहता है, दूसरा चक्र है वैज्ञानिक सोच जिसमें विकास रहता है, किन्तु हम विकास और विश्वास का उचित विभाजन नहीं कर पाये, आज के वैज्ञानिक युग में निरन्तर हो रहे अविष्कारों ने जल, थल और वायु तीनों को प्रदूषित किया है जबकि हम अपनी आदि अवस्था से आधुनिक अवस्था तक किसी न किसी रूप में प्रकृति से प्रभावित भी होते रहे हैं इसलिए प्रकृति ने हमें संवेदनशील मानव बनाया है।

सार्वजनीन और सार्वभौमिक तथ्य है कि हमारी सृष्टि का कुशल संचालन एक स्वर्निधारित प्रक्रिया, नियम और क्रमशः परिवर्तनों के

अनुसार हो रहा है। इस सुर्निधारित व्यवस्था में कुछ भी हेर–फेर व्यवधान, हस्तकक्षेप जब होता है, तब ही प्रकृति के छेड़छाड़ की स्थिति में पर्यावरणीय संतुलन विचलित हो जाता है, ऐसे में सिर्फ मानव के ही लिये अपितु, सम्पूर्ण प्राणी जगत के सम्मुख मुँह खोले खड़ा है। विकास की अंधी दौड़ के पीछे मानव प्रकृति को छल रहा है, (उसका दोहन कर रहा है)। देखा जाए तो पर्यावरणीय समस्याओं से मनुष्य और अन्य जीवधारियों को अपना सामान्य जीवन जीने में कठिनाई होती है और ये सब तब ही होता है जब हम प्रकृति और अपनी आत्मा के साथ स्वयं के सम्बन्धों से दूर जाने लगते हैं, हम पर्यावरण को प्रदूषित करने लगते हैं और ये प्रदूषण बाहरी पर्यावरण से ही नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से अपने भीतर और आसपास के लोगों में नकारात्मक भावनाएं फैलाने, जगत के दुख और हिंसा का कारण बनते हैं, ये मानसिकता ही प्रदूषण की जड़ है। हमारी विचारधाराएं, आस्थाएं, विश्वास, धारणाएं व मान्यताएं एवं जीवन मूल्य किसी न किसी रूप में पर्यावरण आधारित रहे हैं परन्तु वे देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित भी होते रहे हैं लेकिन समय के साथ भौतिक–विकास के अधांनुकरण में हमने अपनी प्राकृतिक दौलत को तिरस्कृत कर उसके अभिन्न अंगों को चोट पहुंचाई है। हम कण–कण में ईश्वर रूप को देखकर सम्पूर्ण चराचर जगत के संरक्षण की जीवन पद्वति अपनाते रहे हैं, जिसमें पशु–पक्षियों, पुष्पों, नदियों, भूमि, पर्वत, वृक्ष आदि का पूजन करते हैं जैसे प्रकृति पर जीवन के अस्तित्व की रक्षा परिवेश में विद्यमान परिस्थितियाँ, प्रत्येक जीवन को प्रभावित करती हैं, रसायनिक बहिस्राव, परमाणिक कचरा, तेजाबी वर्षा और वायुमंडल में लगातार बढ़ रही कार्बनडाई ऑक्साइड, जो जहरीली व जानलेवा है..... का प्रभुत्व प्रकृति को छल रहा है। उन व्यस्त चौराहों पर खड़ा वो पड़े, उदास, बेबस और लाचार, किसी साजिश का शिकार व मौसम की मार झेल रहा है और घुट–घुट कर अपने गुस्से का इजहार बेसमय पत्तियां गिरा कर–कर रहा है। विपदा के इस कठिन दौर में सूखे सरोवर, विषैली गंगा, मौसम की मार, दमघोटू माहोल, आध्यात्मिक क्रान्ति के नाम पर प्रकृति का दोहन, उपभोगवाद के यान पर सवार शेष–अवशेष चित्कार व हाहाकार कर रहे हैं।

वस्तुतः अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो सम्पूर्ण समाज में पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति जनचेतना का संचार करना होगा क्योंकि जन्म से मृत्यु तक प्रकृति ही हमारी चिरसंबिनी रही है। हरी–भरी धरती, कल–कल बहती नदियां, झरने, गगनचुम्बी पर्वतमालाय, दूर–दूर तक फैले समुद्र, पुष्पों से आती भीनी–भीनी सुगन्ध, किस निष्ठुर का मन नहीं चाहेगा, इनसे आत्मसात होना, इनकी सुंदरताव उपयोगिता पर दृष्टिपात करते हुए इनके प्रति जागरूक होना बस...इसे ही कहेंगे कि प्रकृति धरती जो अपनी है उसे समझें व अपनायें ताकि पर्यावरण का संतुलन ठीक रहे।

बदलती शिक्षा प्रणाली

यदि हम किसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली पर दृष्टि डाले तो उस राष्ट्र की शिक्षा में उस राष्ट्र की सांस्कृति और सभ्यता का निश्चित रूप से दर्शन हो जाता है। परन्तु यदि हम वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर (भारतीय शिक्षा प्रणाली) दृष्टि डाले तो हमारे राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में पश्चिमी सभ्यता के दर्शन करने को अवश्य मिल जाएंगे। हमारी सभ्यता और सांस्कृति शिक्षा के क्षेत्र से अलग होती जा रही है। यह एक निश्चित रूप से विचारणीय विषय है। हमारा समाज पाश्चात्य सांस्कृति को अपनाता जा रहा है। अपनी प्राचीन वैदिक सभ्यता को भुलाता जा रहा है। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति करना है। यदि हम वैदिक काल पर दृष्टि डाले तो हम देखेंगे कि उस समय विद्या को दो प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया था। एक परा तथा दूसरा अपरा। परा का अर्थः ज्ञान, कर्म व उपासना द्वारा ईशप्राप्ती था। अपरा का अर्थः समाज विद्या अर्थात् उसके लौकिक रूप से था। परा विद्या द्वारा वैदिक काल में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों का बोध कराया जाता था। वैदिक काल में शिक्षक विद्वान वेदों के द्वारा बताये मार्ग पर चल कर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के सिद्वान्तों को मानते थे। शास्त्रों में बताये ब्रहमचर्य, आशुभ, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम व सन्यास आश्रम का पालन किया जाता था। ईश्वर के प्रति निष्ठा होती थी। वैदिक काल में साधना के क्षेत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा व ध्यान पर विशेष बल दिया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कर चरित्र निर्माण करना था चारो आश्रमों ब्रहमचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यास का अपना–अपना महत्व था। शिक्षा के द्वारा धर्म की शिक्षा दी जाती थी। गुरु व छात्र के बीच ज्ञान का अदान–प्रदान होता था। गुरुजन छात्र को राष्ट्रवादी ज्ञान देकर राष्ट्र धर्म पर चलने का मार्ग दिखलाते थे। शिक्षा के साथ–साथ चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर (गुरुकुल) शास्त्रयुक्त शिक्षा ग्रहण करता था। छात्र के माता–पिता भी गुरुजन के प्रति आस्था व निष्ठा रखते थे। चाहे कितना बड़ा सम्राट या चक्रवर्ती राजा का पुत्र हो गुरु के आश्रम में रहकर धर्मयुक्त, शास्त्र युक्त शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करता था। शिष्य–गुरुजन के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होते थे।

आज की शिक्षा प्रणाली पर यदि हम दृष्टि डाले तो आज की शिक्षा में न तो सांस्कृति की शिक्षा है, ना ही सभ्यता की और ना ही राष्ट्र धर्म की। छात्र व गुरु के सम्बन्ध भी वो सम्बन्ध नही रहे जो वैदिक काल में थे। वैदिक काल की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। आज अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है अच्छे से अच्छे विद्यालय को खोजता है। उस विद्यालय में प्रवेश दिलवाने का प्रयत्न भी करता है। अपने बच्चे को डाक्टर इजि० प्रोफेसर या फिर एक आफिसर बनाना चाहता है। बच्चे को डाक्टर, इंजि०, प्रोफेसर या आफिसर बनाना गलत नही। अपनी सभ्यता, अपने सांस्कृति का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमारे बच्चे विदेशी भाषा में पढ़ना व बोलचाल करने में अपनी शान समझते है। विदेशी भाषा का ज्ञान होना गलत नही। परन्तु अपनी मातृ भाषा को भूलना गलत है। सम्पूर्ण संसार में अध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमारा राष्ट्र विश्व गुरु है। हमारे बच्चे अपनी सांस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे है यह एक चिन्ता का विषय है। बच्चे किस ओर जा रहे है हमे विचारना होगा। बच्चे हमारे राष्ट्रवादी बने इसके लिए उन्हें शास्त्रयुक्त शिक्षा भी देनी होगी। ताकि बच्चे राष्ट्रवादी व चरित्रवान हो सके।

पीयूष अरोड़ा, चांदपुर

हिन्दू जागा एकता जगी

सर झुके नहीं, रथ रूके नहीं, अब चूके ना चौहान कभी।
गौरी जैसे आक्रामक को, ना मिले क्षमा का दान कभी।
घोटाला करने वालों से भारत की जेल सुशोभित हो।
अब दगाबाज गद्दारों को, फाँसी की सजा सुनिश्चित हो।
हाँ नाप–तोल हर बागी की, हर दागी की भी निश्चित हो–
अब राजनीति में जगह कहीं, पा सके ना बेईमान कभी।
सुन करके बिगुल जागरण का, हिन्दू जागा एकता जगी।
अब फूट नहीं आपस में हो, शत्रु कर पाए न कोई ठगी।
बुझने मत देना देशप्रेम की, अगन हृदय के बीच लगी–
फेंको उखाड़ वह हर काँटा, जो बने मार्ग व्यवधान कभी।
दायित्व और अधिकार सभी, अब जनता के परिभाषित हों।
कर्त्तव्य सभी नेताओं के, अब सभा सदन में पारित हों।
क्या करना है, क्या होना है, हर नीति नियम निर्धारित हों–
भारतमाता का कोई भी, कर सके नहीं अपमान कभी।
जो बात–बात में राजनीति, करते अपशब्द बोलते हैं।
देते हैं धौंस बगावत की, सामाजिक जहर घोलते हैं।
भारत में रहकर भारत के, विपरीत परों को तौलते हैं–
क्यों तुष्टिकरण अब उसका हो, माने न जो अहसान कभी।
भारत की मिट्टी में जन्मे, भारत में रहते खाते हैं।
लेकिन भारत के ही खिलाफ जो जनता को भड़काते हैं।
पाकिस्तानी झण्डे भारत की जन्नत में लहराते हैं–
अपने हो सकते नहीं मित्र, वह फरामोश इन्सान कभी।

हितेश कुमार शर्मा

महानतम अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बालपन की अल्पज्ञात जीवन गाथा की एक झलक

✍ हरिकृष्ण निगम

कार्ल सैन्डबर्क ने एक बार कहा था कि मानव जाति के इतिहास में बहुधा ऐसा कभी कभी ही होता है जब धरती पर कोई ऐसा महापुरुष अवतरित होता है जो इस्पात व रेशमी मुलायम ताने बाने से लिपटा हो, जो चट्टानों जैसी कठोर वस्तु से बना हो और साथ ही बहने वाली कोहरे की तरह मृदु व कोमल हो। अब्राहम लिंकन अमेरिकी इतिहास के एक ऐसे ही महापुरुष थे।

अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य के मार्च १८६१ से जब तक अप्रैल १८६ में उसकी जघन्य हत्या नहीं कर दी गई राष्ट्रपति रहे थे। अमेरिकी गृहयुद्ध के संक्रमण काल से और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पंजों और दास–प्रथा को प्रतिबंधित करते हुए अमेरिकी राज्यों के संगठन को उन्हें स्वतंत्रता की पहचान दी और उनके अस्तित्व को उबारा था। जब १८६१ में लिंकन राष्ट्रपति बने थे उसी दिन से देश के सभी नागरिकों द्वारा व्हाईट हाउस को अपना और

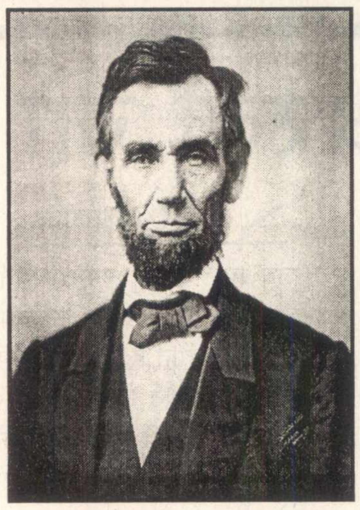

राष्ट्रपति के बृहद परिवार का अक्षरा अपना माना जाना लगा था। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय राष्ट्रपति से मिलने के लिए सीधा आ सकता था और कभी कभी तो भवन में पहुंचने वालों की संख्या इतनी अधिक हो जाती थी कि आगुन्तकों के कारण राष्ट्रपति को अपना काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती थी। आज यह अविश्वसनीय व एक कल्पना जैसा भी लगता है कि कोई भी उनके आवास पर आकर आग्रह कर सकता था कि यह राष्ट्रपति से मिलना चाहता था।

बचपन से ही अब्राहम पुस्तकों या किसी भी तरह की पढ़ने की सामग्री के लिए सदैव भूखे रहते थे। चाहे वो पुस्तक हो, पुराना अखबार या पत्रिका हो अथवा कोई पोस्टर ही क्यों न हो वे उसके अच्छे अच्छे वाक्य, उदरण या उक्तियाँ तुरंत निजी डायरी में नोटकर लेते थे। यदि लिखने के लिए तुरन्त सुविधा न हो तो उस कतरन, उद्धरण या कहावत को वे आगे लिख लेने के लिए किसी बोर्ड या दीवार पर अथवा दराज में संजोकर लिख रखते थे। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के रूप में प्रारंभिक वर्षों में रहने पर भी वे कहीं नोट करते थे कि 'बच्चों को खुलकर आनन्द करने दो! "दीवारें व बन्धन गिरा दो।'' और जब वे परिवार के बीच समय बिताते थे तब अपने प्रिय कथनों को सबके बीच बड़े चाव से सुनाते थे।

अब्राहम लिंकन का जन्म केन्टब्री राज्य के हौजनविले नामक एक जंगली स्थान जैसे ग्राम में १२ फरवरी १८०६ लकड़ी के पट्टों से बने एक कमरे घर में हुआ था। नोलिन खाड़ी–क्रीक–नामक–सिकिंग स्प्रिन्ग फार्म में यह जगह स्थित थी। (उनकी कुटिया में सिर्फ एक खिड़की थी जिस पर चर्बी लगाई एक कड़े का कागज का पर्दा चमड़े के फीतों के सहारे टांगा गया था और जहाँ 'फायर प्लेस' में गर्मी और सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक अलाव जलाया जाता था। बाहर हवा के ठण्ड झोकों से आग सुलगती थी पर झंझरी से वह कमरा भी अत्यन्त ठंडा रहता था। अब्राहम और उसकी माँ नैन्सी दोनों भालू की खाल के कम्बल से ढककर भुट्टों के छिलके से बने गद्दे पर सोते थे। पास में ही उनकी दो वर्षीया बहन सारा भी जमीन पर सोती थी और धूल मिट्टी से भी 'फायर प्लेस' की आग की रोशनी में खेलती रहती थी। अब्राहम के पिता थामस लिंकन अपनी पत्नी से यह कहते नही थकते थे कि वे अपने पुत्र अब्राहम पर बहुत गर्व महसूस करते थे।

अब्राहम के माता पिता थामस लिंकन जब वे एक बालक थे तभी १७८२ में अपने परिवार के साथ केन्टुकी आए थे। वर्जीनिया में उसके पास जो खेत था तब वे अपना सब कुछ छोड़कर १७८२ में इस आशा में आए थे कि अपनी पहले की सम्पत्ति से वे बड़े खेत खरीद सकेंगे। यह उनकी महत्वाकांक्षा थी। वर्जीनिया से उनकी केन्टुकी की यात्रा लम्बी, धीमी और खतरनाक थी उस समय सड़के बहुत कम थी वे जंगली पंगडण्डी जैसी थी और रास्ते में जंगली सुअर, भेडिया व सियार व जंगली कुत्ते भी बड़े खतरे के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। घोड़े द्वारा खींचे जाने वाला वाहन या गाड़ी सारे दिन चलने के बाद २५ मील से अधिक नहीं चलता था। बैलगाड़ी तो मुश्किल से इससे भी आधी दूरी तय करती थी। अनेक दूसरे यात्रियों व विस्थापितों की तरह लिंकन एक दुर्गम रास्ता 'कम्बर लैण्ड ट्रेल' जो केन्टुकी से टेनेसी तक जाती थी पकड़ी थी। शानी, चेरी की और दूसरे अन्य 'नेटिव' अमेरिकनों ने पिछले हजारों साल से केन्टुकी में शिकार आदि का व्यवसाय अपनाया था पर 'श्वेत' 'सेटलर्स' ने उन्हें वहाँ से खदेड़ने में कभी चूक नहीं की थी। इसलिए अनेक समूहों में यहाँ तनाव या वैमनस्य बना रहता था। थामस लिंकन की आयु मात्र ८ वर्ष थी जब उसने अपने पिता को एक 'शानी' शुद्ध समूह द्वारा मारे जाते देखा था।

थामस लिंकन अपने समय की व्याप्त दहशत से सदैव भयभीत रहते थे। अब्राहम ने अपने पिता को सदैव संघर्ष शील, मेहनतकश व घुमन्त के रूप में देखा था जो कभी कभी एक बढ़ई का काम भी करते थे। १८०६ में थामस ने एक युवा महिला नैन्सी हैंक्स से शादी की जो वर्जीनिया से ही थी। नैन्सी बुद्धिमती व सौम्य महिला थी। एक साल बाद लिंकन व सारा का जन्म हुआ था। जब उनका पुत्र दो वर्ष का हो गया था तब उसका नाम अपने दादा के नाम पर अब्राहम रखा गया था, नैन्सी का भतीजा डेनिस हैंक्स ने जब शिशु अब्राहम को देखा था कि व मन्दबुद्धि लगता है और जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। कोई कह नहीं सकता था कि यही बालक अमेरिका के इतिहास का महानतम राष्ट्रपति बन सकेगा।

बलिदानी परम्परा के वाहक भाई महावीर

प्रतिक्रिया

१. भाई मतिदास ने ६–११–१६७५ को आरे से अपना शरीर कटवा लिया था लेकिन हिन्दू धर्म छोड़कर मुस्लिम नहीं बने थे।

२. उनका महान त्याग और बलिदान हिन्दू को प्रेरणा देता है लेकिन उसी वंश के डा० भाई महावीर ने सराहनीय कार्य नहीं किए।

३. लाहौर में भाई महावीर ने कहा था कि हिन्दू महासभा तो हिन्दू राष्ट्र नहीं बनवा सकती है क्योंकि उसमे युवक कम हैं।

४. भाई महावीर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में आ गए थे तब उन्होंने कहा था कि संघ हिन्दू राष्ट्र बना सकता है क्योंकि उसमें युवक बहुत हैं।

५. १९४५–४६ के चुनावों में संघ ने कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था तब भाई महावीर ने विरोध क्यों नहीं किया?

६. भाई महावीर ने जनसंघ बनाने का विरोध क्यों नहीं किया? वे उसके महासचिव क्यों बनें? नई दिल्ली में उनके पिताजी ने १९३६ में हिन्दू महासभा भवन बनवा दिया था। उन्हें तो हिन्दू महासभा को ही मजबूत व बड़ा बनाना चाहिए था। यदि वे ऐसा करते तो भाई मतिदास की बलिदान की परम्परा चलती रहती।

७. १९८० में तो भाजपा के ध्वज में केसरिया रंग ६६ प्रतिशत बाजपेयी ने संघ की सहमति से कर दिया था। तब तो भाई महावीर को भाजपा से सम्बन्ध तोड़कर हिन्दू महासभा के लिए डट कर कार्य करना चाहिए था।

८. म० प्र० का राज्यपाल बनने पर भाई महावीर ने जिला धार स्थित सरस्वती मन्दिर परिसर से मस्जिद हटवाने के लिए मुख्यमंत्री से क्या कहा?

९. शिवराज सिंह १५ वर्षो से मुख्यमंत्री बने हुए हैं लेकिन मस्जिद हटवाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

१०. जब विपक्ष के नेता थे तब कांग्रेस से कहते थे कि मस्जिद अवैध है अतः हटनी चाहिए।

११. यदि भाई महावीर राज्यपाल बनने से पूर्व शर्त लगा देते कि मस्जिद हटवाई जाएगी तब तो वे प्रशंसा के पात्र होते।

१२. जिस प्रकार भाजपा गांधी वादी हो गई है उसी प्रकार भाई महावीर भी गांधी वादी हो गए थे लेकिन उनके पिताजी द्वारा बनाई हुई हिन्दू महासभा अभी भी गांधी वादी नहीं है और उसके ध्वज में केसरिया रंग १०० प्रतिशत है इसलिए भाई महावीर के कार्य प्रेरणा दायक नहीं हैं।

आई० डी० गुलाटी, बुलन्दशहर

भारतीय मुसलमानों के हिन्दू पूर्वज मुसलमान कैसे बने?

डॉ० विवेक आर्य

किरण रिजिजू के बयान के सेक्युलर लोग राजनीतिक निष्कर्ष निकालने पर लगे हुए है। मगर सत्य इतिहास चाहे कड़वा हो उसे कोई बदल नहीं सकता। पिछले १२०० वर्षों से इस्लामिक आक्रांताओं एवं ईसाई मिशनरी से भयानक अत्याचारों की ऐसे दास्तानें भारतीय जनमानस के हृदय पटल पर लिखी है। जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। इस लेख को पढ़कर जानिए कैसे भारतीय मुसलमानों के हिन्दू पूर्वज मुसलमान कैसे बने?

इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि लगभग ६६ प्रतिशत भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू थे। वह स्वधर्म को छोड़ कर कैसे मुसलमान हो गये? अधिकांश हिन्दू मानते हैं कि उनको तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया अर्थात वे स्वेच्छा से मुसलमान नहीं बने। मुसलमान इसका प्रतिवाद करते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम का तो अर्थ ही शांति का धर्म है। बलात धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यदि किसी ने ऐसा किया अथवा करता है तो यह इस्लाम की आत्मा के विरुद्ध निंदनीय कृत्य है। अधिकांश हिन्दू मुसलमान इस कारण बने कि उन्हें अपने दम घुटाऊ धर्म की तुलना में समानता का सन्देश देने वाला इस्लाम उत्तम लगा।

इस लेख में हम इस्लामिक आक्रान्ताओं के अत्याचारों को सप्रमाण देकर यह सिद्ध करेंगे की भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू थे एवं उनके पूर्वजों पर इस्लामिक आक्रान्ताओं ने अनेक अत्याचार कर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया था। अनेक मुसलमान भाइयों का यह कहना हैं कि भारतीय इतिहास मूलतः अंग्रेजों द्वारा रचित हैं। इसलिए निष्पक्ष नहीं है। यह असत्य है। क्यूंकि अधिकांश मुस्लिम इतिहासकार आक्रमणकारियों अथवा सुलतानों के वेतन भोगी थे। उन्होंने अपने आका की अच्छाइयों को बढ़ा–चढ़ाकर लिखना एवं बुराइयों को छुपाकर उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का भरपूर परिचय दिया हैं। तथापि इस शंका के निवारण के लिए हम अधिकाधिक मुस्लिम इतिहासकारों के आधार पर रचित अंग्रेज लेखक ईलियट एंड डाउसन द्वारा संगृहीत एवं प्रामाणिक समझी जाने वाली पुस्तकों का इस लेख में प्रयोग करेंगे।

भारत पर ७वीं शताब्दी में मुहम्मद बिन कासिम से लेकर १८वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली तक करीब १२०० वर्षों में अनेक आक्रमणकारियों ने हिन्दुओं पर अनगिनत अत्याचार किये। धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से असंगठित होते हुए भी हिन्दू समाज ने मतान्ध अत्याचारियों का भरपूर प्रतिकार किया। सिंध के राजा दाहिर और उनके बलिदानी परिवार से लेकर वीर मराठा पानीपत के मैदान तक अब्दाली से टकराते रहे। आक्रमणकारियों का मार्ग कभी भी निष्कंटक नहीं रहा अन्यथा सम्पूर्ण भारत कभी का दारुल इस्लाम (इस्लामिक भूमि) बन गया होता। आरम्भ के आक्रमणकारी यहाँ आते, मारकाट –लूटपाट करते और वापिस चले जाते। बाद की शताब्दियों में उन्होंने न केवल भारत को अपना घर बना लिया अपितु राजसत्ता भी ग्रहण कर ली। इस लेख में हम कुछ आक्रमणकारियों जैसे मौहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मौहम्मद गौरी और तैमूर के अत्याचारों की चर्चा करेंगे।

मौहम्मद बिन कासिम

भारत पर आक्रमण कर सिंध

प्रान्त में अधिकार प्रथम बार मुहम्मद बिन कासिम को मिला था। उसके अत्याचारों से सिंध की धरती लहूलुहान हो उठी थी। कासिम से उसके अत्याचारों का बदला राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों ने कूटनीति से लिया था।

१. प्रारंभिक विजय के पश्चात कासिम ने ईराक के गवर्नर हज्जाज को अपने पत्र में लिखा–दाहिर का भतीजा, उसके योद्धा और मुख्य मुख्य अधिकारी कत्ल कर दिये गये हैं। हिन्दुओं को इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया है, अन्यथा कत्ल कर दिया गया है। मूर्ति–मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं। अजान दी जाती है।

२. वहीं मुस्लिम इतिहासकार आगे लिखता है– मौहम्मद बिन कासिम ने रिवाड़ी का दुर्ग विजय कर लिया। वह वहाँ दो–तीन दिन ठहरा। दुर्ग में मौजूद ६००० हिन्दू योद्धा वध कर दिये गये, उनकी पत्नियाँ, बच्चे, नौकर–चाकर सब कैद कर लिये (दास बना लिये गये)। यह संख्या लगभग ३० हजार थी। इनमें दाहिर की भानजी समेत ३० अधिकारियों की पुत्रियाँ भी थी।

महमूद गजनवी

मुहम्मद गजनी का नाम भारत के अंतिम हिन्दू सम्राट पृथ्वी राज चौहान को युद्ध में हराने और बंदी बनाकर अफगानिस्तान लेकर जाने के लिए प्रसिद्ध है। गजनी मजहबी उन्माद एवं मतान्धता का जीता जागता प्रतीक था।

१. भारत पर आक्रमण प्रारंभ करने से पहले इस २० वर्षीय सुल्तान ने यह धार्मिक शपथ ली कि वह प्रति वर्ष भारत पर आक्रमण करता रहेगा, जब तक कि वह देश मूर्ति और बहुदेवता पूजा से मुक्त होकर इस्लाम स्वीकार न कर ले। अल उतबी इस सुलतान की भारत विजय के विषय में लिखता है–अपने सैनिकों को शस्त्र बाँट कर अल्लाह से मार्ग दर्शन और शक्ति की आस लगाये सुलतान ने भारत की ओर प्रस्थान किया। पुरुषपुर (पेशावर) पहुँचकर उसने उस नगर के बाहर अपने डेरे गाड़ दिये।

२. मुसलमानों को अल्लाह के शत्रु काफिरों से बदला लेते दोपहर हो गयी। इसमें १५००० काफिर मारे गये और पृथ्वी पर दरी की भाँति बिछ गये जहाँ वह जंगली पशुओं और पक्षियों का भोजन बन गये। जयपाल के गले से जो हार मिला उसका मूल्य २ लाख दीनार था। उसके दूसरे रिश्तेदारों और युद्ध में मारे गये लोगों की तलाशी से ४ लाख दीनार का धन मिला। इसके अतिरिक्त अल्लाह ने अपने मित्रों को ५ लाख सुन्दर गुलाम स्त्रियाँ और पुरुष भी बख्शे।

३. कहा जाता है कि पेशावर के पास आये–हिन्द पर आक्रमण के समय महमूद ने महाराज जयपाल और उसके १५ मुख्य सरदारों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था। सुखपाल की भाँति इनमें से कुछ मृत्यु के भय से मुसलमान हो गये। भेरा में, सिवाय उनके, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, सभी निवासी कत्ल कर दिये गये। स्पष्ट है कि इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या काफी रही होगी।

४. मुल्तान में बड़ी संख्या में लोग मुसलमान हो गये। जब महमूद ने नवासा शाह पर (सुखपाल का धर्मान्तरण के बाद का नाम) आक्रमण किया तो उतबी के अनुसार महमूद द्वारा धर्मान्तरण का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। कश्मीर घाटी में भी बहुत से काफिरों को मुसलमान बनाया गया और उस देश में इस्लाम फैलाकर वह गजनी लौट गया।

५. उतबी के अनुसार जहाँ भी महमूद जाता था, वहीं वह निवासियों को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर करता था। इस बलात् धर्म परिवर्तन अथवा मृत्यु का चारों ओर इतना आतंक व्याप्त हो गया था कि अनेक शासक बिना युद्ध किये ही उसके आने का समाचार सुनकर भाग खड़े होते थे। भीमपाल द्वारा चाँद राय को भागने की सलाह देने का यही कारण था कि कहीं राय महमूद के हाथ पड़कर बलात् मुसलमान न बना लिया जाये जैसा कि भीमपाल के चाचा और दूसरे रिश्तेदारों के साथ हुआ था।

६. १०२३ ई. में किरात, नूर, लौहकोट और लाहौर पर हुए चौदहवें आक्रमण के समय किरात के शासक ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उसकी देखा–देखी दूसरे बहुत से लोग मुसलमान हो गये। निजामुद्दीन के अनुसार देश के इस भाग में इस्लाम शांतिपूर्वक भी फैल रहा था, और बलपूर्वक भी। सुल्तान महमूद कुरान का विद्वान था और उसकी उत्तम परिभाषा कर लेता था। इसलिये यह कहना कि उसका कोई कार्य इस्लाम विरुद्ध था, झूठा है।

७. हिन्दुओं ने इस पराजय को राष्ट्रीय चुनौती के रूप में लिया। अगले आक्रमण के समय जयपाल के पुत्र आनंद पाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं की सहायता से एक बड़ी सेना लेकर महमूद का सामना किया। फरिश्ता लिखता है कि ३०,००० खोकर राजपूतों ने जो नंगे पैरों और नंगे सिर लड़ते थे, सुलतान की सेना में घुस कर थोड़े से समय में ही तीन–चार हजार मुसलमानों को काट कर रख दिया। सुलतान युद्ध बंद कर वापिस जाने की सोच ही रहा था कि आनंद पाल का हाथी अपने ऊपर नेपथा के अग्नि गोले के गिरने से भाग खडा हुआ। हिन्दू सेना भी उसके पीछे भाग खड़ी हुई।

८. **सराय (नारदीन) का विध्वंस**- सुलतान ने (कुछ समय ठहरकर) फिर हिन्द पर आक्रमण करने का इरादा किया। अपनी घुड़सवार सेना को लेकर वह हिन्द के मध्य तक पहुँच गया। वहाँ उसने ऐसे–ऐसे शासकों को पराजित किया जिन्होंने आज तक किसी अन्य व्यक्ति के आदेशों का पालन करना नहीं सीखा था। सुल्तान ने उनकी मूर्तियाँ तोड़ डाली और उन दुष्टों को तलवार के घाट उतार दिया। उसने इन शासकों के नेता से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। अल्लाह के मित्रों ने प्रत्येक पहाड़ी और वादी को काफिरों के खून से रंग दिया और अल्लाह ने उनको घोड़े, हाथियों और बड़ी भारी संपत्ति मिली।

९. नंदना की विजय के पश्चात् सुल्तान लूट का भारी सामान ढ़ोती अपनी सेना के पीछे–पीछे चलता हुआ, वापिस लौटा। गुलाम तो इतने थे कि गजनी की गुलाम–मंडी में उनके भाव बहुत गिर गये। अपने (भारत) देश में अति प्रतिष्ठा प्राप्त लोग साधारण दुकानदारों के गुलाम होकर पतित हो गये। किन्तु यह तो अल्लाह की महानता है कि जो अपने मजहब को प्रतिष्ठित करता है और मूर्ति–पूजा को अपमानित करता है।

१०. **थानेसर में कत्ले आम**- थानेसर का शासक मूर्ति–पूजा में घोर विश्वास करता था और अल्लाह (इस्लाम) को स्वीकार करने को किसी प्रकार भी तैयार नहीं था। सुलतान ने (उसके राज्य से) मूर्ति पूजा को समाप्त करने के लिये अपने बहादुर सैनिकों के साथ कूच किया। काफिरों के खून से, नदी लाल हो गई और उसका पानी पीने योग्य नहीं रहा। यदि सूर्य न डूब गया होता तो और अधिक शत्रु मारे जाते। अल्लाह की कृपा से विजय प्राप्त हुई जिसने इस्लाम को सदैव–सदैव के लिये सभी दूसरे मत–मतान्तरों से श्रेष्ठ स्थापित किया है, भले ही मूर्ति पूजक उसके विरुद्ध कितना ही विद्रोह क्यों न करें। सुलतान, इतना लूट का माल लेकर लौटा जिसका कि हिसाब लगाना असंभव है। स्तुति अल्लाह की जो सारे जगत का रक्षक है कि वह इस्लाम और मुसलमानों को इतना सम्मान बख्शता है।

११. **अस्नी पर आक्रमण**- जब चन्देल को सुलतान के आक्रमण का समाचार मिला तो डर के मारे उसके प्राण सूख गये। उसके सामने साक्षात मृत्यु मुँह बाये खड़ी थी। सिवाय भागने के उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। सुलतान ने आदेश दिया कि उसके पाँच दुर्गों की बुनियाद तक खोद डाली जाये। वहाँ के निवासियों को उनके मल्बे में दबा दिया अथवा गुलाम बना लिया गया। चन्देल के भाग जाने

शेष पृष्ठ 10 पर

मुस्लिम शरीयत में परिवर्तन : विचार, वास्तविकता एवं संभावनायें

✍ तस्लीमा नसरीन

भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) को 'शरीयत' नहीं माना जा सकता। वास्तव में भारत में मुस्लिम पर्सनल कानून किसी भी रूप में 'शरीयत' का स्थान या स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। इसलिए 'मुस्लिम व्यक्तिगत कानून' एवं 'इस्लामी शरीयत' को एक ही मानकर विचार करना, अध्ययन एवं विश्लेषण करना या लागू करने का प्रयास करना एक बड़ी भूल होगी। मुस्लिम समाज एवं उलेमा (धर्माचार्यों) की भी यह एक बड़ी भूल ही है कि वे इन दोनों में स्पष्ट भेद होते हुए भी इन्हें एक मानकर मुस्लिम समाज के लिए लागू करने का एक आन्दोलन छेड़े हुए हैं। कुरान, हदीस, फिक्क, फतवों, मुस्लिम कानून, इस्लामी इतिहास एवं मुहम्मद के जीवन, खलीफाओं की राज्य व्यवस्था; मुसलमानों, मुहम्मद एवं खलीफाओं के अन्य धर्मावलम्बियों के साथ सम्बन्ध इत्यादि को विस्तार से देखने से निम्न तर्क उभरते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) वह नहीं है जिसे 'इस्लामी शरीयत' कहा जा सकता है।

इस्लामी आधार

१. भारत में इस्लाम राज्यधर्म नहीं है – इस्लामी शरीयत के लागू होने की यह प्रथम आवश्यक दशा है कि उस देश को इस्लाम शासित देश होना चाहिए तथा उसका 'राज्यधर्म' भी इस्लाम होना चाहिए। इस आधार पर यदि एक देश में किसी भी रूप में इस्लामी शासन है परन्तु वह प्रजातांत्रिक है और इस्लाम को राज्यधर्म नहीं मानता तो भी वहाँ के मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को 'इस्लाम शरीयत' की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसी तरह एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश में भी जहाँ का राजा यदि गैरमुस्लिम है, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून 'इस्लामी शरीयत' के रूप में नहीं माना जा सकता।

शाह अब्दुल अजीज (१७४६–१८२४) ने १८०१ ई. में फतवा दिया कि भारत अंग्रेजी राज्य के कारण 'दारूल हरब' हो गया है। सत्ता, न्याय के अधिकार, टैक्स लगाना और वसूलना, दण्ड के अधिकार सब अंग्रेजों के पास चले गये हैं। इनमें से मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है।१ हाजी शरीयतुल्ला जो बंगाल में फरीदी सम्प्रदाय के संस्थापक थे, ने फतवा दिया कि भारत एक 'दारूल हरब' राज्य हो गया है। इस कारण शुक्रवार की नमाज और ईद की नमाज एक सार्वजनिक रूप में नहीं पढ़ी जानी चाहिए। ऐसा केवल दारूल इस्लाम में ही उचित है। यह स्थिति भारत में तत्कालीन समय में है। यद्यपि इस्लामी सरकार नहीं है और जो प्रजातांत्रिक सरकार है वह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और स्वयं मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं। इस तरह तकनीकी रूप में भारत 'दारूल हरब' भी नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई 'जिहाद' नहीं किया जा सकता। जो 'जिहाद' के नाम पर कश्मीर में चलाया जा रहा है वह कुरान की उपर्युक्त धारणा के अनुसार सिर्फ बगावत है, जिसके लिए कट्टरपंथी उलेमा दोषी हैं जो

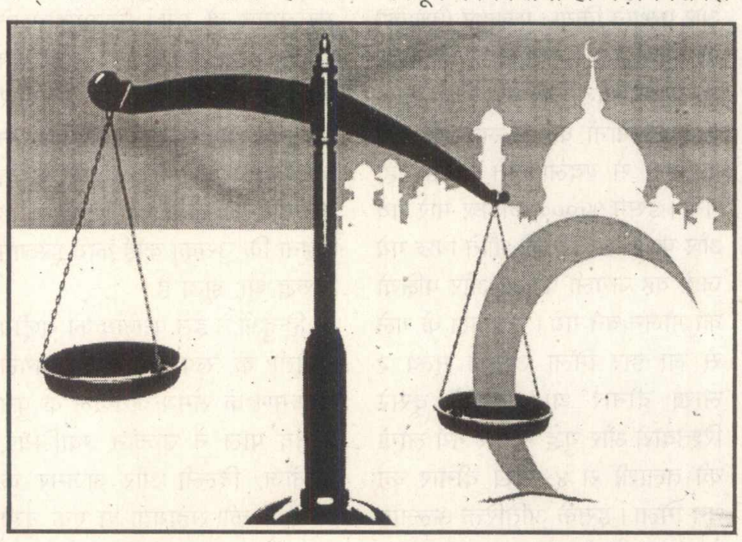

शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं क्योंकि हदीस व कुरान कहते हैं "अल्लाह का आदेश मानो, रसूल का आदेश मानो, और तुम में से उनका भी, जो सत्ता में हैं।" (कुरान ४.५६) इस तरह यह आयत तत्कालीन समय में भारत में मुसलमानों को यह आदेश एवं मार्गदर्शन देती है कि किसी भी रूप में इस्लाम के नाम पर सरकार या बहुसंख्यकों के विरूद्ध कार्य शरीयत के विरूद्ध कार्य होगा। यह केवल बगावत होगी और जो इस कार्य के लिए जिहाद का नाम लेकर भड़का रहे हैं उन्होंने शरीयत को ठीक तरह से नहीं समझा है। शरीयत यह आदेश देती है कि उनका भी आदेश मानो 'जो सत्ता में हैं।' जिहाद के लिए यह आवश्यक है कि कोई मुस्लिम शासक हो, जो शरीयत को लागू कर सके और जिसके लिए मुसलमान अपनी स्वामीभक्ति दे सकें तथा जिसके नाम पर लड़ सकें। इसकी अनुपस्थिति में कोई भी विरोध बगावत कहलायेगा न कि जिहाद और कोई भी सरकार उसे बगावत के रूप में निबट लेने के लिए स्वतंत्र होगी।

२. भारतीय न्यायाधीश मुसलमान नहीं हैं – मुस्लिम राज्यधर्म होने के साथ ही शरीयत लागू होने की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि न्यायालय इस्लामी आधार पर हों तथा समस्त न्यायाधीश मुसलमान हों, अर्थात् काजी, मौलवी या मुफ्ती हों। यह आवश्यक नहीं कि वे 'मुस्लिम व्यक्तिगत कानून' के विशेषज्ञ हैं या नहीं। कोई गैर–मुस्लिम चाहे वह मुस्लिम कानून का कितना ही बड़ा विशेषज्ञ क्यों न हो, इस्लामी शरीयत के आधार पर फैसला नहीं कर सकता। भारत में यह स्थिति नहीं है इसलिए भारत में मुसलमानों पर शरीयत के नियम लागू नहीं हो सकते हैं।

३. शरीयत लागू करने के लिए कोई इस्लामी खलीफा भी नहीं है – इस्लामी शरीयत लागू करने के लिए एक इस्लामी खलीफा का होना भी आवश्यक शर्त है। इस्लाम की दुनिया से पुराने खलीफाओं की पीढ़ी का अस्तित्व १२५८ ई. में समाप्त हो गया जब मंगोल सम्राट हलाकू ने बगदाद के खलीफा को कत्ल कर दिया तथा इस्लामी साम्राज्य को तहस–नहस कर दिया। इसके २६० वर्ष पश्चात १५१७ ई. में तुर्की का सुल्तान नया खलीफा बना और खिलाफत १६१७ ई. तक चली, जबकि स्वयं प्रजातंत्र पसंद मुसलमानों ने ही कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की ने खलीफा का ही अन्त कर दिया। इस तरह तकनीकी रूप से भारत तो क्या दुनिया के किसी भी देश में 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' को शरीयत की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस समय दुनिया में मुसलमानों का कोई खलीफा नहीं है। स्वयं मुसलमान भी इस पर एकमत नहीं हैं कि खलीफा के पद को पुनः किसी तरह प्रारम्भ किया जा सकता है या नहीं। द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजों द्वारा तुर्की को पराजित कर देने के पश्चात इस्लामी खलीफा को बचाने के लिए एकमात्र भारत में ही मुसलमानों ने आन्दोलन चलाया।

उपर्युक्त तीनों शर्तें अर्थात् इस्लाम राज्य धर्म का होना, मुस्लिम न्यायाधीशों का होना और इस्लामी खलीफा का होना, शरीयत लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। अन्यथा इनकी अनुपस्थिति में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून तो किसी रूप में चल सकता है परन्तु उसे शरीयत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उपर्युक्त इस्लामी आधारों के अतिरिक्त कुछ अन्य तर्क एवं आधार भी सामने हैं :

अन्य आधार

४. भारतीय विधिशास्त्र इस्लामी दर्शन एवं शरीयत को भारतीय कानून का प्रधान स्रोत नहीं मानता, इस तरह इस्लामी शरीयत भारतीय विधिशास्त्र का कोई अंग नहीं बनती।

५. भारत में जो भी मुस्लिम कानून किसी तरह 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के नाम से चल रहा है वह शरीयत नहीं है। मुस्लिम कानून शरीयत का कोई भाग नहीं है। यदि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरीयत का कोई भाग नहीं है तो फिर प्रश्न उठता है कि मुस्लिम कानून क्या है? यह/ये केवल कुछ उन इस्लामिक धार्मिक नियमों के हिस्से हैं जो ब्रिटिश सरकार की एक नीति के अंतर्गत भी लागू होते चले आ रहे हैं।

६. भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है और सब धर्मों के अनुयायियों को समान नागरिक के अधिकार हैं। किसी एक धर्म या कानून को दूसरे के ऊपर वरीयता नहीं दी जा सकती। यदि किसी नियम को उचित नहीं पाया जाता है, तो संसद के द्वारा उसे संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है और उसे अधिक न्यायोचित बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस्लामी गवाही नियम एवं इस्लामी अपराधिक नियम को पूरा समाप्त कर दिया गया है और इसका स्थान भारतीय दंड संहिता ने ले लिया है। अब १ मुस्लिम पुरुष की गवाही २ मुस्लिम महिला–साक्षियों के बराबर नहीं मानी जा सकती और न भारतीय अपराधिक अधिनियम यह मानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं में आत्मा नहीं होती। आश्चर्यजनक रूप से उलेमा एवं आम मुसलमानों ने इस बात के लिए कभी आवाज नहीं उठाई कि इस्लामी गवाहों तथा अपराधिक

शेष पृष्ठ 11 पर

शरीयत के नियम	कुरान सूरा एवं आयत
१. जुआ एवं शराब निषेध	२.२१६
२. सूदखोरी हराम है।	२.२७५
३. मुस्लिम कानून की दृष्टि में २ स्त्रियाँ = १ पुरुष	२.२८४
४. उत्तराधिकार के मामले में मुस्लिम कानून में स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं	४.२
५. मुसलमान को एक समय में चार पत्नियाँ रखने का अधिकार है	४.३
६. किसी मुसलमान की हत्या करना	४.६२, ६३
७. खुदा और मुहम्मद के खिलाफ जंग छेड़ना	५.३६
८. चोरी के लिए हाथ काट देना	५.४१
९. गैर–मुस्लिमों से जजिया लेना	९.२९
१०. मुस्लिम रमजान के ४ पवित्र महीनों में युद्ध नहीं लड़ सकते	९.३६, ३७
११. व्यभिचार एवं बलात्कार के लिए १०० कोड़े मारना	२४.२
१२. गवाही प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में ८० कोड़े मारना	२४.४
१३. गोद लेना निषेध	३३.४, ३७

मुस्लिम लीग का माँगपत्र—१९२९ ई.

१८५८ में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन को अपने अधिकार में लेते ही ब्रिटिश सरकार ने धीरे–धीरे भारतीयों को देश के शासन–तंत्र से और अधिक जोड़ने की नीति की घोषणा की। इसी संदर्भ में १९१९ में लागू भारतीय कानून की जाँच और अनुशीलन के साथ ही भावी संवैधानिक सुधार पर सुझाव देने हेतु सरकार ने १९२७ में लंदन में साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। तत्काल मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अपनी १४ सूत्री माँगों की सूची के साथ मुस्लिम लीग आगे बढ़ी। ये १४ बिन्दु थे—

१. आगामी संविधान का आकार राज्यों को प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघात्मक होना चाहिए।

२. सभी प्रान्तों को प्रदत्त अधिकारों में एक समरूप मानदंड अपनाया जाना चाहिए।

३. देश की सभी विधायिकाओं और निर्वाचित संस्थाओं के विधान अल्पसंख्यकों के समुचित और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व के सुनिश्चित सिद्धान्त के आधार पर पुनर्निर्धारित किये जाने चाहिए; यह किसी भी प्रान्त में बिना बहुमत को अल्पमत में विभाजित किये अथवा बिना समानता का आधार लिये करना चाहिए।

४. केन्द्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक–तिहाई से कम नहीं होना चाहिए।

५. साम्प्रदायिक समूहों का प्रतिनिधित्व उनके पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर जारी रहना चाहिए जैसा कि वर्तमान में है; इस शर्त के साथ कि उन्हें संयुक्त निर्वाचक मंडल के पक्ष में अपने पृथक् निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी समय त्याग की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

६. किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रों का यदि पुनर्वर्गीकरण आवश्यक हो, तो किसी भी प्रकार पंजाब, बंगाल तथा उत्तर–पश्चिमी प्रान्तों में मुसलमानों के बहुमत पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

७. सभी सम्प्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता (आस्था, पूजा–पाठ, प्रथा, प्रचार, संस्था और शिक्षा सम्बन्धी) की गारंटी होनी चाहिए।

८. किसी विधानमंडल या किसी भी अन्य निर्वाचित संस्था में कोई भी विधेयक, प्रस्ताव या उसका कोई भी भाग तब पारित नहीं हो, जब संस्था के किसी भी सम्प्रदाय के तीन–चौथाई सदस्य इस आधार पर उस विधेयक, प्रस्ताव या उसके किसी भाग का विरोध करते हों कि उससे उस सम्प्रदाय के सदस्यों के हितों को हानि पहुँचेगी; अथवा वैकल्पिक रूप में किसी अन्य ढंग से व्यवहार्य और उपयोगी उपाय निकाल लिया

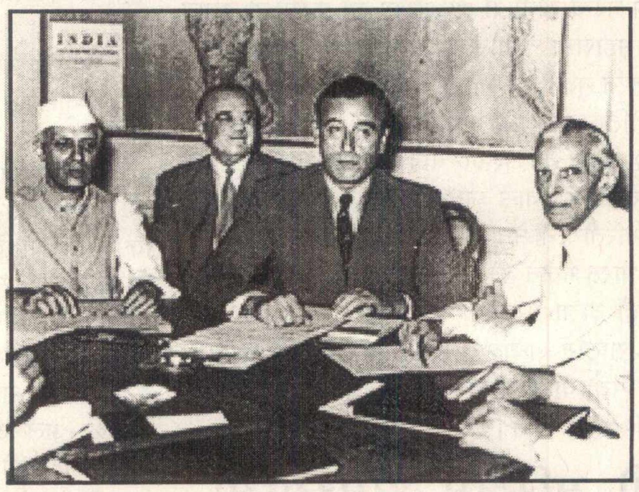

जाए, जो ऐसे मामलों में स्वीकार्य हो।

९. सिंध को बम्बई प्रेसीडेंसी से पृथक् किया जाये।

१०. उत्तर–पश्चिमी सीमान्त प्रान्त और बलूचिस्तान में सुधार अन्य प्रान्तों के आधार पर उनके समान ही सन्निविष्ट किये जायें।

११. संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाई जाये कि राज्य सरकार तथा सभी स्वशासी संस्थाओं की सेवाओं में मुसलमानों को अन्य भारतीयों के समानान्तर उपयुक्त भाग उपलब्ध होकर आवश्यकतानुसार उनकी कार्य–कुशलता को यथोचित सम्मान मिले।

१२. संविधान में पर्याप्त ऐसे रक्षोपाय होने चाहिए, जिससे मुसलमानों का धर्म, उनकी संस्कृति और उनके व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) सुरक्षित रहें; उनकी शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) और कल्याणकारी दातव्य संस्थाएँ उन्नत हों एवं राज्य सरकार तथा स्वशासी शासकीय संस्थाओं में उन्हें समुचित भागीदारी दी जाये।

१३. कोई भी केन्द्रीय या प्रान्तीय मंत्रिमंडल न्यूनतम एक–तिहाई अनुपात में मुसलमान मंत्रियों के बिना गठित नहीं किया जाये।

१४. संघात्मक शासन प्रणाली को मूर्त रूप देने वाले राज्यों के सहयोग के बिना केन्द्र की विधायिका द्वारा संविधान में कोई परिवर्तन न किया जाये। वर्तमान परिस्थितियों में पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से देश के विभिन्न विधानमंडलों तथा अन्य निर्वाचित सदस्यों वाली संस्थाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अपरिहार्य है और आगे भी रहेगा। सरकार इस अधिकार से मुसलमानों को वंचित न करने के लिए वचनबद्ध है; अतः बिना मुसलमानों की सहमति के इस व्यवस्था को हटाया नहीं जा सकता; और जब तक उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार मुसलमान अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के प्रति संतुष्ट नहीं होते, तब तक वे सशर्त या बिना शर्त किसी भी प्रकार संयुक्त सामान्य निर्वाचन के लिए भी सहमत नहीं होंगे।

सूचना—उन प्रान्तों में, जहाँ मुसलमान अल्पसंख्या में हैं, वहाँ उनकी जनसंख्या के अनुपात का उल्लंघन कर अधिसंख्य प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर इसके बाद विचार किया जाये।

साभार राष्ट्रधर्म

मुस्लिम लीग का माँग-पत्र—१९३८ ई.

गाँधी के नेतृत्व के अधीन कांग्रेस पार्टी एवं ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा था कि १९३२ के साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल एवार्ड) की घोषणा से मुसलमान पूरी तरह संतुष्ट हैं और अब दोनों (कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार) के मध्य एक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध उभरेगा। १९३७ के प्रान्तीय निर्वाचन के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना और पं. नेहरू के मध्य तब विवाद फूट पड़ा, जब मुसलमानों से सम्बन्धित कुछ मामलों का संकेत करते हुए जिन्ना से पूछा गया। जिन्ना ने उन मामलों से हटने से इनकार कर दिया। पं. नेहरू द्वारा इन मामलों को लेकर एम.ए. जिन्ना को लिखे गए पत्रों में से एक पत्र के प्रत्युत्तर में जिन्ना ने नये विवाद खड़े कर दिये, जिनका संकेत जिन्ना ने किया। ये थे—

१. मुस्लिम लीग द्वारा १९२९ में चौदह बिन्दु सूत्रबद्ध किये गये।

२. साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल एवार्ड) से सम्बन्धित सभी विरोध कांग्रेस को वापस लेना चाहिए तथा इसको राष्ट्रीयता विरोधी के रूप में वर्णित नहीं करना चाहिए।

३. संविधान में वैधानिक अधिनियमन करते हुए राज्य की सेवाओं में मुसलमानों के भाग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

४. मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) और मुस्लिम संस्कृति की संविधि (Statute) द्वारा गारंटी दी जानी चाहिए।

५. शहीद गंज मस्जिद से सम्बन्धित आन्दोलन को कांग्रेस को अपने हाथ में लेकर नैतिक दबाव बनाते हुए मुसलमानों को इतना समर्थ बना देना चाहिए, जिससे वे मस्जिद को अपने अधिकार में ले सकें।

६. अजान देने तथा धार्मिक समारोहों को सम्पन्न करने में मुसलमानों के मार्ग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

७. मुसलमानों को गोहत्या करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

८. प्रान्तों में जहाँ भी मुसलमान बहुमत में हों वहाँ उन्हें क्षेत्रीय पुनर्वर्गीकरण या समायोजन से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

९. 'वन्दे मातरम्' गीत त्याग देना चाहिए।

१०. मुसलमान चाहते हैं कि उर्दू भारत की राष्ट्रभाषा हो। वे इसकी वैधानिक गारंटी चाहते हैं कि उर्दू को न कम किया जाये और न उसको हानि पहुँचाई जाये।

११. स्थानीय संस्थाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 'साम्प्रदायिक अधिनिर्णय' में रेखांकित सिद्धान्तों के अनुसार शासित किया जाना चाहिए अर्थात् उनकी जनसंख्या शक्ति और उनका पृथक् निर्वाचन क्षेत्र।

१२. तिरंगा झंडा बदल दिया जाना चाहिए अथवा विकल्पतः मुस्लिम लीग के झंडे को ही उसके समान महत्त्व दिया जाना चाहिए।

१३. मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों के एक आधिकारिक प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

१४. संयुक्त मंत्रिमंडल गठित किये जाने चाहिए।

साभार राष्ट्रधर्म

बलूचिस्तान में आज भी रहते हैं पेशवा और मराठों के वंशज!

'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर हुए भाषण के पश्चात् बलूचिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ है। परंतु, आश्चर्य की बात यह है कि बलूचिस्तान की १ करोड़ ३१ लाख जनसंख्या में २० लाख मुसलमान मराठों के वंशज हैं। अंग्रेजों के शासन के पूर्व यह प्रदेश अफगानिस्तान में था; तदुपरांत भारत का प्रदेश बना। वर्ष १९४७ में विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बलपूर्वक अपने में मिला लिया। तब से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए ४ बड़ी क्रांतियाँ हुईं। इन सभी क्रांतियों का नेतृत्व इन्होंने किया था।

मराठों के वंशज बलूचिस्तान कैसे पहुँचे : तीसरे पानीपत युद्ध में अहमदशाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया और ५० से ७५ सहस्र मराठा सैनिकों को बंदी बनाकर बलूचिस्तान ले गया। तदुपरांत इन सभी मराठा सैनिकों को मुसलमान बनाया गया। आज भी मराठों के वंशज अपने नाम के आगे 'मराठा' शब्द लिखते हैं। इनकी लगभग २० उपजातियाँ बलूचिस्तान में हैं। इनके कुछ नाम इस प्रकार हैं—पेशवानी मराठा, बुगती मराठा, कालपर मराठा, नोथानी मराठा, शाम्बानी मराठा, मोसानी मराठा, शाहू मराठा इत्यादि। ये लोग आज भी माँ को 'अम्मीजान' नहीं, 'आई' शब्द से पुकारते हैं। ये आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं की पूजा करते हैं। कोई भारतीय चलचित्र में जब 'हर हर महादेव' की घोषणा सुनाई देते ही, तब ये लोग भी खड़े होकर 'हर हर महादेव' कहते हैं। अब, इसके आगे बलूचिस्तान में होने वाली घटनाओं पर ध्यान रखना आवश्यक है; क्योंकि वहाँ की लड़ाई का नेतृत्व मराठों के वंशज कर रहे हैं। इस विषय पर २० इतिहासकारों ने मराठी में २० पुस्तकें लिखी हैं।

(संदर्भ : 'पैट्रियाट फोरम', नई देहली)

ॐ कहो गर्व से, हम हिन्दू हैं ॐ

हिन्दू महासभा ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को फांसी देने के निर्णय का किया तीव्र विरोध, पाकिस्तानी उच्चायुक्त को ज्ञापन सौंपेगी महासभा

अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कूलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा फांसी देने के निर्णय का तीव्र विरोध किया है तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से श्री जाधव को फांसी से बचाने तथा वापस भारत लाने की मांग की है। हिन्दू महासभा ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि पाकिस्तान श्री जाधव को तुरंत मुक्त कर भारत को सौंप दे, अन्यथा भारत सरकार पाकिस्तान से सभी प्रकार का कूटनीतिक संबंध समाप्त कर ले। हिन्दू महासभा महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा है कि १२ अप्रैल को १२.०० बजे दिन में अखिल भारत हिन्दू महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी दूतावास जाकर पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को एक ज्ञापन सौपेंगा तथा पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को माफ करने तथा शीघ्र वापस भारत भेजने की मांग करेगा। श्री शर्मा ने बताया कि यदि श्री जाधव की फांसी की सजा को नहीं टाला गया, तो हिन्दू महासभा पाकिस्तानी दूतावास का घेराव करेगी। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सुनील कुमार सहित हिन्दू महासभा के पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगें।

मुस्लिम ला बोर्ड सभी मुस्लिम समस्याओं का निर्माताः हिन्दू महासभा

आल इण्डिया मुस्लिम पर्शनल ला बोर्ड की घोषणा में केवल पुरानी बातों को ही दोहराया गया है। उसने तीन तलाक को नाजायज ठहराने की बजाए, केवल बे–बजह तलाक लिया जाता है। तो, समाज उसका बहिष्कार करेगा, यह कहा है। वह नाजायज है कि नहीं, यह तय करने का अधिकार भी उन्हीं मुल्ला–मौलवियों का होगा। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक एवं राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने आज कहा कि मध्य युगीन परम्पराओं में जीने वाले ये वही लोग हैं जो आज भी उस युग की बर्बर परम्पराओं को ही अपना धर्म तथा महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। अपनी आधी आबादी को ये सामान्य मानव अधिकार भी देने को तैयार नहीं हैं। तलाक देने का अधिकार महिलाओं को भी उतना ही मिले जितना पुरुषों को है, किन्तु, ये उसके लिए तैयार नहीं हैं। ऊपर से, निकाह हलाला जैसी बर्बर अमानवीय परम्परा को भी उचित ठहराकर इन लोगों ने महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करा दिया है। इसलिए, मुस्लिम महिलाओं को मानवाधिकार दिलाने हेतु अब केंद्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक कानून अविलम्ब बनाना चाहिए। बोर्ड के राम मन्दिर संबंधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने कहा कि इस मामले में भी बोर्ड ने अपनी हठ–धर्मिता को ही दोहराया है। वे राम जन्म भूमि के मामले में तो न्यायालय का निर्णय चाहते हैं किन्तु, तीन तलाक में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं। उनकी इस दोहरी मानसिकता से ही स्पष्ट हो जाता है कि वे न्यायपालिका का कितना सम्मान करते हैं। इसलिए उनके बहकावे में आने की बजाए केंद्र सरकार को आगे बढ़कर तीन तलाक, हलाला व बहु विवाह जैसी बर्बर परम्पराओं को समाप्त करने हेतु अतिशीघ्र कानून लाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं तथा जागृत मुस्लिम समाज की मांग भी यही है। हिन्दू महासभा नेताओं ने कहा कि मुस्लिम पर्शनल ला बोर्ड अब दिवालिया हो चुका है, जिसका मुस्लिम समाज में न कोई जनाधार है और न ही यह सम्पूर्ण मुस्लिम समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। बल्कि, यह केवल उनमें कट्टरता को बढ़ाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करना चाहता है। अतः इसकी पूर्ण रूपेण उपेक्षा कर देनी चाहिए। तभी, मुस्लिम समाज से सम्बंधित सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा।

शेष पृष्ठ 7 का **भारतीय मुसलमानों के हिन्दू.......**

के कारण सुलतान ने निराश होकर अपनी सेना को चान्द राय पर आक्रमण करने का आदेश दिया जो हिन्द के महान शासकों में से एक है और सरसावा दुर्ग में निवास करता है।

१२. सरसावा (सहारनपुर) में भयानक रक्तपात - सुल्तान ने अपने अत्यंत धार्मिक सैनिकों को इकट्ठा किया और दात्रु पर तुरन्त आक्रमण करने के आदेश दिये। फलस्वरूप बड़ी संख्या में हिन्दू मारे गये अथवा बंदी बना लिये गये। मुसलमानों ने लूट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जब तक कि कत्ल करते–करते उनका मन नहीं भर गया। उसके बाद ही उन्होंने मुर्दो की तलाशी लेनी प्रारंभ की जो तीन दिन तक चली। लूट में सोना, चाँदी, माणिक, सच्चे मोती, जो हाथ आये जिनका मूल्य लगभग तीस लाख दिरहम रहा होगा। गुलामों की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक को २ से लेकर १० दिरहम तक में बेचा गया। दगोष को गजनी ले जाया गया। दूर–दूर के देशों से व्यापारी उनको खरीदने आये। मवाराउन–नहर ईराक, खुरासान आदि मुस्लिम देश इन गुलामों से पट गये। गोरे, काले, अमीर, गरीब दासता की समान जंजीरों में बँधकर एक हो गये।

१३. सोमनाथ का पतन - अल–काजवीनी के अनुसार जब महमूद सोमनाथ के विध्वंस के इरादे से भारत गया तो उसका विचार यही था कि (इतने बड़े उपसाय देवता के टूटने पर) हिन्दू (मूर्ति पूजा के विश्वास को त्यागकर मुसलमान हो जायेंगे। दिसम्बर १०२५ में सोमनाथ का पतन हुआ। हिन्दुओं ने महमूद से कहा कि वह जितना धन लेना चाहे ले ले, परन्तु मूर्ति को न तोड़े। महमूद ने कहा कि वह इतिहास में मूर्ति–भंजक के नाम से विख्यात होना चाहता है, मूर्ति व्यापारी के नाम से नहीं। महमूद का यह ऐतिहासिक उत्तर ही यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि सोमनाथ के मंदिर को विध्वंस करने का उद्देश्य धार्मिक था, लोभ नहीं। मूर्ति तोड़ दी गई। दो करोड़ दिरहम की लूट हाथ लगी, पचास हजार हिन्दू कत्ल कर दिये गये। लूट में मिले हीरे, जवाहरातों, सच्चे मोतियों की, जिनमें कुछ अनार के बराबर थे, गजनी में प्रदर्शनी लगाई गई जिसको देखकर वहाँ के नागरिकों और दूसरे देशों के राजदूतों की आँखें फैल गई।

मौहम्मद गौरी

मुहम्मद गौरी नाम नाम गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर के विध्वंष के कारण सबसे अधिक कुख्यात है। गौरी ने इस्लामिक जोश के चलते लाखों हिन्दुओं के लहू से अपनी तलवार को रंगा था।

१. मुस्लिम सेना ने पूर्ण विजय प्राप्त की। एक लाख नीच हिन्दू नरक सिधार गये (कत्ल कर दिये गये)। इस विजय के पश्चात इस्लामी सेना अजमेर की ओर बढ़ी–वहाँ इतना लूट का माल मिला कि लगता था कि पहाड़ों और समुद्रों ने अपने गुप्त खजानें खोल दिये हों। सुलतान जब अजमेर में ठहरा तो उसने वहाँ के मूर्ति–मंदिरों की बुनियादों तक को खुदावा डाला और उनके स्थान पर मस्जिदें और मदरसें बना दिये, जहाँ इस्लाम और शरियत की शिक्षा दी जा सके।

२. फरिश्ता के अनुसार मौहम्मद गौरी द्वारा ४ लाख खोकर और तिराहिया हिन्दुओं को इस्लाम ग्रहण कराया गया।

३. इब्ल–अल–असीर के द्वारा बनारस के हिन्दुओं का भयानक कत्ले आम हुआ। बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर और कोई नहीं बख्शा गया। स्पष्ट है कि सब स्त्री और बच्चे गुलाम और मुसलमान बना लिये गये।

तैमूर लंग

तैमूर लंग अपने समय का सबसे अत्याचारी हमलावर था। उसके कारण गांव के गांव लाशों के ढेर में तब्दील हो गए थे। लाशों को जलाने वाला तक बचा नहीं था।

१. १३६६ ई. में तैमूर का भारत पर भयानक आक्रमण हुआ। अपनी जीवनी तुजुके तैमुरी में वह कुरान की इस आयत से ही प्रारंभ करता है। ऐ पैगम्बर काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है। हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिन्दुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है (जिससे) इस्लाम की सेना को भी हिन्दुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएँ मिल जायें।

२. कश्मीर की सीमा पर कटोर नामी दुर्ग पर आक्रमण हुआ। उसने तमाम पुरुषों को कत्ल और स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। फिर उन हठी काफिरों के सिरों के मीनार खड़े करने के आदेश दिये। फिर भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाला गया। वहाँ के राजपूतों ने कुछ युद्ध के बाद हार मान ली और उन्हें क्षमादान दे दिया गया। किन्तु उनके असावधान होते ही उन पर आक्रमण कर दिया गया। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिये गये। घंटे भर में दस हजार लोगों के सिर काटे गये। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सरोसामान, खजाने और अनाज को भी, जो वर्षो से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगा कर राख कर दिया। इमारतों और दुर्ग को भूमिसात कर दिया गया।

३. दूसरा नगर सरसुती था जिस पर आक्रमण हुआ। सभी काफिर हिन्दू कत्ल कर दिये गये। उनके स्त्री और बच्चे और संपत्ति हमारी हो गई। तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाये, कत्ल कर दिया जाये। और फिर सेना के सामने जो भी ग्राम या नगर आया, उसे लूटा गया। पुरुषों को कत्ल कर दिया गया और कुछ लोगों, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया।

४. दिल्ली के पास लोनी हिन्दू नगर था। किन्तु कुछ मुसलमान भी बंदियों में थे। तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी हिन्दू बंदी इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिये जायें। इस समय तक उसके पास हिन्दू बंदियों की संख्या एक लाख हो गयी थी। जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी उसके साथ के अमीरों ने उससे कहा कि इन बंदियों को कैम्प में नहीं छोड़ा जा सकता है और इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। तैमूर लिखता है– इसलिये उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैम्प में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिये जायें और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाये और उसकी सम्पत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाये। जब इस्लाम के गाजियों (काफिरों का कत्ल करने वालों को आदर सूचक नाम) को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत लीं और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन एक लाख अपवित्र मूर्ति–पूजक काफिर कत्ल कर दिये गये।

इसी प्रकार के कत्लेआम, धर्मातरण का विवरण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्लतुमिश, खिलजी, तुगलक से लेकर तमाम मुगलों तक का मिलता हैं। अकबर और औरंगजेब के जीवन के विषय में चर्चा हम अलग से करेंगे। भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों बाबर, मौहम्मद बिन–कासिम, गौरी, गजनवी इत्यादि लुटेरों को और औरंगजेब जैसे साम्प्रदायिक बादशाह को गौरव प्रदान करते हैं और उनके द्वारा मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों व दरगाहों को इस्लाम की काफिरों पर विजय और हिन्दू अपमान के स्मृति चिन्ह बनाये रखना चाहते हैं। संसार में ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा जब एक कौम अपने पूर्वजों पर अत्याचार करने वालों को महान सम्मान देते हो और अपने पूर्वजों के अराध्य हिन्दू देवी देवताओं, भारतीय संस्कृति एवं विचारधारा के प्रति उसके मन में कोई आकर्षण न हो।

शेष पृष्ठ ८ का

मुस्लिम शरीयत में परिवर्तन.....

नियमों को क्यों समाप्त कर दिया गया।

७. शरीयत की व्यवहार–निरस्त एवं काल–निरस्त आयतें–ऐसा सोचना नितान्त मूर्खता ही होगी कि आधुनिक समय में विश्व में कहीं उस तरह की इस्लामी संस्कृति का इस्लामी राज्य स्थापित किया जा सकता है, जैसी कि धारणा कुरान में वर्णित है। विश्व के इस्लामी राष्ट्रों में कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। सऊदी अरेबिया दूसरे इस्लामी राज्य ईराक से लड़ने को काफिर और किताबिया अमेरिका की सेना को अपने यहाँ डाले हुए है। एक लम्बी सूची कुरान के उन नियमों की है जिन्हें स्वयं इस्लामी सरकारों ने बदल दिया है और उलेमा स्वीकार करते हैं कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता :

ऊपर बताये गये नियमों में गोद लेना निषेध एवं एक समय में ४ पत्नियाँ रखना तो ऐसे हैं जिन पर शरीयत का नाम लेकर मुस्लिम धर्माचार्य एवं भारतीय मुसलमान कुछ बोल रहे हैं, वरना बाकी के ११ कुरान के नियम ऐसे हैं जिन पर वे चुप रहना ही उचित समझते हैं और मन ही मन अल्लाह से यह दुआ माँगते हैं कि वे कहीं लागू न हो जायें। इसमें वे प्रगतिशील मुस्लिम विचार सम्मिलित नहीं हैं जो ऐसे नियमों को स्वयं ही निरर्थक एवं कालदूषित समझ कर निरस्त कर चुके हैं। जब शरीयत के इन नियमों को व्यवहार में स्वयं मुसलमान एवं उलेमाओं ने निरस्त कर दिया है तो फिर किस आधार पर कहा जा सकता है कि 'मुस्लिम व्यक्तिगत कानून' शरीयत है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून एवं शरीयत दो बिल्कुल भिन्न–भिन्न वस्तुएँ हैं और तत्कालीन भारत में जो चल रहा है, वह शरीयत नहीं है। इस कारण हमें मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का अध्ययन एवं विश्लेषण पूरी तरह एक–दूसरे दृष्टिकोण से करना होगा, वह दृष्टिकोण यह होगा कि आवश्यकतानुसार सामान्य कानून की तरह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को बदला या संशोधित किया जा सकता है, जिससे यह अधिक समयानुकूल, उचित, प्रासंगिक और न्यायसंगत बना रहे। ऐसा करने का अधिकार खुली बहस के माध्यम से संसद को होगा और यदि ऐसे परिवर्तन की माँग स्वयं मुस्लिम समुदाय से उठती है तो सरकार एवं संसद उसकी ओर ध्यान देगी। ऐसा भी नहीं हो सकेगा कि इन मुस्लिम कानूनों को अदालत में चुनौती दी जा सके। **(शेष अगले अंक में)**

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

विशेषतायें जो अन्यत्र नहीं मिलती

1. पत्रकारिता के उच्च राष्ट्रनिष्ठ मानकों के लिए प्रतिबद्धता
2. राष्ट्र और हिन्दुत्व को हानि पहुँचाने वाले कारकों पर पैनी दृष्टि
3. साम्प्रदायिक और पृथकतावादी सोच पर जमकर प्रहार
4. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पारदर्शी चर्चा
5. सामाजिक सरोकारों की तह तक जाकर समाधानपरक बहस
6. प्रेरक प्रसंग, महान् व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का माध्यम
7. भ्रष्टाचार, अपराध और अंर्तराष्ट्रीय चिंतन पर तीखा आक्रमण

हमारा संकल्प

1. हम एक ऐसी समतामुलक राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं जहां निर्धनता का अभिशाप न हो, किसी का शोषण न हो, न्याय वनपशुओं की चेरी न बने, सब समान हों, एक दूसरे के सहयोगी हों।
2. हम एक ऐसी संस्कृतिक व्यवस्था के पक्षधर हैं जिसमें हिन्दुत्व के सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया जा सके, जिससे कि हिंसा, पाप, शोषण, विषमता और संवेदनहीनता की कालिमा से विश्व को मुक्ति मिलें।

केवल इतना ही नही, अन्य भी बहुत सी जीवनोपयोगी सामग्री।
आपका साप्ताहिक, आपकी भावनाओं का दर्पण।

-: तत्काल ग्राहक बनें :-

सदस्यता शुल्क

वार्षिक..150/- रुपये
द्विवार्षिक..300/- रुपये
आजीवन सदस्य.......................................1500/- रुपये

ड्राफ्ट या मनीआर्डर
''हिन्दू सभा वार्ता'' के नाम भेजें।
पता :- हिन्दू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

नोट :- केवल स्थानीय चैक स्वीकार किये जाते हैं।

शेष पृष्ठ २ का

अन्तःकरण की शुद्धि ही.......

वाणी को सुना, किन्तु हम नहीं सुन पा रहे हैं। कारण यह है कि हमारी सांसारिक प्रवृत्ति रेडियो (अन्तःकरण) में बहुत व्यवधान पैदा करती है और हम अपने मेन स्टेशन (परमात्मा) को नहीं सुन पाते।

हमें भजन स्वस्थ और युवावस्था में ही कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था तो उस प्रकार है जिस प्रकार टॉर्च के सैल कमजोर हो जाने पर रौशनी उत्पन्न नहीं होती। उतने ही कर्म करो जिससे इस पेट को उचित आहार मिल सके, स्वयं को अधिक मत उलझाओ।

हर पदार्थ की (जड़ एवं चेतन) पाँच अवस्थाएँ हैं–उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति, क्षय और क्षति। युवावस्था तो भजन के लिए सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि वास्तव में उसके बाद विकास की कोई अवस्था नहीं रहती। मृत्यु बिल्ली की तरह देखती रहती है कि कब इसकी अवधि पूरी हो और कब वह उसे धर दबोचे।

हमें ईश्वर ने आँखें, कान, जिह्वा आदि बहुमूल्य अंग दिये। परन्तु हम उनका किस सीमा तक दुरुपयोग कर रहे है–यह अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े आदि विकलांगों से पूछकर पता चल सकता है। आँखें कितने ही अभद्र दृश्यों को देखती हैं। परन्तु ठाकुर, देव मन्दिर एवं संतों का दर्शन नहीं करती। कान न जाने कैसी–कैसी विषय चर्चा सुनते हैं, परन्तु ठाकुर के मधुरतम स्वर को नहीं सुनते। कितना दुर्भाग्य है।

माया से बचने के लिए संसार में हमें यह सोचना चाहिए कि माया के उपादानों को अपना काम करना है और हमें अपना काम यानि भक्ति। इस प्रकार स्वयं को मायिक पदार्थों से अलग मानने से न उनसे भय पैदा होगा, न आसक्ति। हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारी राह इनसे अलग है, अतः इन पदार्थों से मोह कैसा?

परमार्थ पथ विचारों का द्वन्द्व नहीं, अपितु आचारों का लेखा है। सुनो कम, पालन अधिक करो करके दिखाओ। तुम्हारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया अपना साधन माँग रही है। बिना साधन के परमार्थ पथ विचारों का द्वन्द्व ही बना रहेगा।

शेष पृष्ठ १ का

हिंदुओं को २० साल बाद....

याचिका दायरा की थी कि उन्होंने कानूनी मालिक से यह संपत्ति खरीदी है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बंटवारे के बाद से यह एनजीओ इस मंदिर की देखभाल करता आ रहा है। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार हिन्दुओं का उत्पीड़न तत्काल बंद करे, अन्यथा भारत सरकार पाकिस्तान के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करे। हिन्दू महासभा नेताओं ने कहा है कि भारत सरकार हिन्दू राष्ट्र है। इसलिये हम विश्व के किसी भी कोने पर हिन्दुओं के साथ हो रहें अन्याय व उम्पीड़न को चुपचाप होते नहीं देख सकते हैं। यदि पाकिस्तान सरकार हिन्दुओं को पूर्ण संरक्षण न दे तो भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने का कार्य करें।

संशोधन

अंक ५ में दिनांक २६ अप्रैल से ०२ मई २०१७, पृष्ठ संख्या २ में प्रकाशित **''वीर सावरकर ने गुरु गोलवलकर से बोलना क्यों बंद कर दिया था''** आर्टिकल में वीर सावरकर का जन्म २८ मार्च प्रिंट हो गया था, जो कि २८ मई है। इस गलती के लिये हम पाठकों से क्षमा प्रार्थी है।

दिनांक 17 मई से 23 मई 2017 तक

साप्ताहिक व्रत-पर्व

पर्व	तिथि	दिन
नाथूराम गोडसे जयंती	19 मई	शुक्रवार
राजा राममोहन जयंती	22 मई	सोमवार
अपरा एकादशी	22 मई	सोमवार
द्वादशी	23 मई	मंगलवार

विज्ञापन हेतु भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डी.ए.वी. नं.-124778
नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट की गई

डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)—11/6129/2016-17-18
रजि सं. 29007/77

यह भी सच है

सरकारी दफ्तरों के काम करने का तरीका भी बदला

क्या मोदी सरकार ने अपनी सरकार के तीन साल पूरा होने तक एक बड़ा मिशन पूरा कर लिया है। सत्ता में आने के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने सरकारी दफ्तरों में वर्क कल्चर बदलने का बड़ा अभियान छेड़ा था उसका असर अब दिखने लगा है। कर्मचारी न सिर्फ वक्त पर आते हैं, बल्कि निर्धारित वक्त बीतने के बाद ही ऑफिस छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, हजारों स्टॉफ अब समय से आधे घंटे पहले ही ऑफिस आ रहे हैं। तीन साल में इस सिस्टम को पटरी पर लाने में मोदी सरकार को काफी सख्ती करनी पड़ी। हाफ डे लीव के आवेदनों की संख्या बढ़ी हालांकि अब भी लगभग ४० हजार कर्मचारियों को आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से नहीं जोड़ा गया है। एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, अब तक हुआ सुधार संतोषजनक है और अगले कुछ दिनों में बाकी बाधाओं को भी दूर कर लिया जाएगा। सरकारी रेकार्ड के अनुसार, दबाव का असर यह हुआ कि अब कर्मचारी समय से पहले जाने पर आवेदन देकर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि पिछले एक साल में हाफ डे लीव के आवेदनों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। लेट आने वाले कर्मचारियों का डेटा मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जब वर्क कल्चर बदलने की पहल की थी तो कई दिनों तक इस माहौल से एडजस्ट करने में कर्मचारियों को परेशानी हुई। बार–बार कहने के बावजूद जब हालात नहीं सुधरे, तो तीन महीने पहले पीएमओ के निर्देश पर आईटी सेक्रेटरी ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि जो डेटा सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से लगभग आधे कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। इसके बाद डीओपीटी ने सभी मंत्रलय और विभागों को इसे कड़ाई से लागू करने को कहा है। डीओपीटी ने आईटी मिनिस्ट्री से लगातार लेट आने वाले कर्मचारियों का डेटा बनाने को कहा। इसकी एक लिस्ट सभी मंत्रालय में शेयर की गई और चेतावनी दी गई कि अगर अब इसमें सुधार नहीं हुआ तो इसका असर उनके सर्विस रेकॉर्ड पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस चेतावनी के बाद पिछले कुछ महीने में काफी सुधार दिखे हैं।

मुस्लिम समाज में महिलाओं के हक में इजाफा, शौहर के इंतकाल पर भी हज की इजाजत

धीरे धीरे ही सही पर मोदी की नीतियों की वजह से मुस्लिम समाज में भी जागरुकता आ रही है और अब मुस्लिम समाज भी अपने में फैली कुरुतियों को लेकर सजग हो रहा है, अपने समाज की जिन गलत नीतियों के कारण ही मुसलमानों के बीच भ्रम के हालात बने रहते थे, उन पर फैसला आ गया। जानशीन मुती आजम हिंदू मुफ्ती अख्तर रजा खां अजहरी मियां की सदारत वाले शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के १४वें सालाना फिकही सेमीनार में साफ कर दिया गया कि दौरान–ए–हज महिला को इद्दत से छूट रहेगी। वह ऐसा बाद में वतन वापसी पर करेगी। इस सिलसिले में सवाल यह था कि हज के सफर में महिला बेवा (विधवा) हो जाए तो क्या करे? उलमा ने जवाब में साफ किया कि महिला जद्दा या मक्का शरीफ पहुंच गई और हज करने से पहले शौहर का इंतकाल हो गया। उस सूरत में उसके लिए इजाजत है कि पहले हज अदा करे। अगर हज के बाद शौहर का इंतकाल हुआ तो वहां इद्दत (चार माह दस दिन) का वक्त गुजारने की इजाजत नहीं हो, मरहम हो तो उसके साथ वरना दीनदार महिलाओं के साथ अपने मुल्क आकर इद्दत पूरी करे। ऐसे ही मदीना पहुंचने पर एहराम बांधने या नहीं बांधने की सूरत में इंतकाल हुआ और इद्दत गुजारने की सऊदी अरब सरकार इजाजत नहीं देती तो महिला मक्का शरीफ जाकर हज अदा करेगी। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना को उलमा ने कत्ल कहा। साफ किया कि अगर ड्राईवर ने जानबूझकर ऐसा किया और किसी शख्स की मौत हो गई तो यह कत्ल के समान है। गाड़ियां आपस में टकराने से मौत हुई तो गलती से कत्ल माना जाएगा। दोनों सूरत में मुआवजा लेना जायज होगा। अगर हादसे के लिए मरने वाला खुद जिम्मेदार है तो मुआवजा लेने का हक नहीं है। इसके लिए मुकदमा लड़ना भी जायज नहीं है। क्लेम पर फीसद तय करना नाजायज है। १फसल काटने की मजदूरी जहां रिवाज है, वहां पैदावार का कुछ हिस्सा देना जायज है और जहां रिवाज नहीं है, उन जगहों पर पैदावार की शर्त नहीं लगाई जा सकती। इस्लामिक स्टडी सेंटर जामियातुर्रजा में आयोजित इस सेमीनार में मुती जिलाउल मुस्तफा, मौलाना असजद रजा कादरी, मुती शब्बीर हसन, मुती वली मुहम्मद (राजस्थान), मुती अनवार अहमद अमजदी (दिल्ली), मुती अनवर निजामी (झारखंड), मुती फजले अहमद (बनारस), मुती शकील, मुती स्वाले आदि भी मौजूद रहे।

ललित मैनी

कबिरा खड़ा बजार में

बत्ती गयी, हेकड़ी है बाकी

प्रधानमंत्री मोदी जी ने भले ही विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ियों से लालबत्ती हटाने का ऐलान कर दिया हो और भले ही उनके मुखारबिंद से फूटे एक–एक शब्द को गीता का ज्ञान समझकर उसका अनुसरण करने वाले उनके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने तय तारीख से पहले ही लालबत्ती का परित्याग कर दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ दल के सांसद से लेकर सडक छाप नेताओं तक ताकत का गुरूर कायम है, इस बात के सुबूत हर दूसरे–तीसरे रोज हमें देखने को मिल रहे हैं। मध्यप्रदेश के गुना जिले की भाजपा ब्लाक अध्यक्ष शोभा रघुवंशी के पति राजीव ने आशुतोष तिवारी नामक एक हवलदार की पिटाई कर दी। बेचारे हवलदार का कुसूर सिर्फ इतना था, कि उसने रघुवंशी परिवार के सदस्यों पर बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए जुमार्ना लगा दिया था। राजीव रघुवंशी को जैसे ही इस बात की खबर लगी, वह अपने गिरोह के साथ नियंत्रण कक्ष पहुंचा। हवलदार को कालर पकड कर बाहर निकाला और जमीन पर पटककर उस पर लात–घूंसे बरसाए। गुना की इस घटना से पहले उत्तरप्रदेश में सीतापुर जिले के भाजपा विधायक महेंद्र यादव ने फतेहगंज इलाके के टोल प्लाजा कर्मचारी को थप्पड़ मारा और फिर अपने चमचों के साथ उसकी पिटाई की सिर्फ इसलिए कि उस कर्मचारी ने विधायक महोदय से टोल टैक्स के पैसे मांग लिए थे। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ और फिर सोशल मीडिया पर फैल गया। हालाँकि इन दोनों ही घटनाओं में नया कुछ नहीं है। लेकिन ये केवल संयोग नहीं है, कि अधिकांश ऐसी घटनाएँ भाजपा शासित प्रदेशों में हुई हैं और उनमें भी अधिकतर भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों के नेता शामिल रहे हैं। संघ परिवार के विभिन्न संगठन भी कहीं पीछे नहीं रहे है। उत्तर प्रदेश में जहाँ भाजपा अभी–अभी सत्तासीन हुई है। वहां भी और उस मध्यप्रदेश में भी। जहाँ भाजपा सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है। मध्यप्रदेश ने तो संभवत इस मामले में एक कीर्तिमान ही बना लिया है। यह आलम तब है,जब पार्टी की कार्य समिति की बैठक हो या विधायक दल की। कार्यकताओं का सम्मेलन हो या फिर जिला और मण्डल स्तर के नेताओं का। हर मंच से आचरण–व्यवहार संयत रखने की नसीहतें दी जाती हैं, सज्जनता और विनम्रता के पाठ पढाये जाते हैं। म०प्र० के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो एक मुहावरा ही गढ़ लिया है– दिल में आग,दिमाग में बर्फ और जुबां पे शक्कर। जिसके अनुरूप उन्होंने अपने आपको ढाल रक्खा है और जिसे वे लगभग हर फोरम पर दोहराते रहते है,लेकिन पता नहीं क्यों, यह बात नीचे पहुँचते–पहुँचते दिमागों की बर्फ पिघल जाती है और जुबां की शक्कर गल जाती है। ग्रहण की जाती है तो केवल सत्ता की गर्मी–सर से पैर तक। कांग्रेस अपने आपको स्वाभाविक रूप से शासन करने वाली पार्टी मानती रही। इस मान्यता से उपजा अहंकार उसकी वर्तमान दशा का कारण बना है। भारतीय जनता पार्टी चाल–चरित्र–चेहरा अलग होने का दावा कर अपने आपको पार्टी विथ द डिफरेंस कहती रही है। लेकिन उसके नेता–कार्यकर्ता, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार जिस तरह से पेश आ रहे हैं। उससे पार्टी की बुनियादी पहचान खत्म हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि भाजपा से तो कम से कम जनता को ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं है। और फिर वो दिन दूर नहीं होगा, जब लोग ये कहने लगें कि आखिर कांग्रेस ही क्या बुरी थी!

वीरेश त्यागी
E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org

नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट की गई डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)—11/6129/2016-17-18
रजि सं. 29007/77
साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता
दिनांक 10 मई से 16 मई 2017 तक

प्राप्तेषु

स्वत्वाधिकारी अखिल भारत हिन्दू महासभा के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मुन्ना कुमार शर्मा द्वारा स्कैन 'एन' प्रिन्ट, 115, कीर्ति नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली मुद्रित तथा हिन्दू महासभा भवन, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित। दूरभाष 011-23365138, 011-23365354
E-mail : akhilbharat_hindumahasabha@yahoo.com, editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org
सम्पादक : मुन्ना कुमार शर्मा, प्रबंध सम्पादक : वीरेश कुमार त्यागी

इस पत्र में प्रकाशित लेख व समाचारों की सहभागिता, संपादक-प्रकाशक की नहीं है। सम्पूर्ण विवादों का न्यायिक क्षेत्र नई दिल्ली है।